



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 6-2021]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 9 फरवरी, 2021
(20 माघ, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का०आ० 5/के० अ०36/2003/धा० 180/2021, दिनांक 9 फरवरी, 2021 हरियाणा बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति, सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा तार मिस्त्री परमिट नियम, 2021 (प्राधिकृत अंग्रजी अनुवाद सहित)	61-134
भाग IV	शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

भाग – III
हरियाणा सरकार
विद्युत विभाग
अधिसूचना

दिनांक 9 फरवरी, 2021

संख्या का०आ० 5/के.अ.36/2003/धा.180/2021.— विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) की धारा 180 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंजाब सरकार, सिंचाई तथा विद्युत विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 133-4EL-62/22977, दिनांक 17 सितम्बर, 1962, हरियाणा राज्यार्थ और इस संबंध में पूर्व में जारी की गई सभी अन्य अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति, सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा तार मिस्त्री परमिट प्रदान करने के लिए निबंधन तथा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति, सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा तार मिस्त्री परमिट नियम, 2021, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागूकरण।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- (3) ये सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में लागू होंगे।
2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) **“अधिनियम”** से अभिप्राय है, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) ;
 - (ख) **“अनुबन्ध”** से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुबन्ध ;
 - (ग) **“अपील प्राधिकारी”** से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विद्युत विभाग ;
 - (घ) **“प्रमाण पत्र”** से अभिप्राय है, विभिन्न वोल्टेज स्तर के सभी प्रकार के बिजली प्रतिष्ठान कार्य के निर्माण और स्थापना के पर्यवेक्षण हेतु प्रदान किया गया सक्षमता प्रमाण पत्र ;
 - (ङ) **“सक्षम प्राधिकारी”** से अभिप्राय है, मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा ;
 - (च) **“प्ररूप”** से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;
 - (छ) **“सरकार”** से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;
 - (ज) **“संस्था”** से अभिप्राय है,—
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;
 - (झ) **“अनुज्ञप्ति”** से अभिप्राय है, विभिन्न वोल्टेज स्तर के सभी प्रकार के बिजली प्रतिष्ठान कार्यों के निर्माण और स्थापना को कार्यान्वित करने के लिए प्रदान की गई ‘ए’ श्रेणी की बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति ;
 - (ञ) **“परमिट”** से अभिप्राय है, अनुज्ञप्त बिजली ठेकेदार के साथ वास्तविक बिजली के कार्य करने के लिए प्रदान किया गया तार मिस्त्री परमिट ;
 - (ट) **“मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय”** से अभिप्राय है,—
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या
 - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया है ;
 - (ठ) **“विनियम”** से अभिप्राय है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 ;
 - (ड) **“अनुसूची”** से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 में दिये गए हैं।

स्क्रीनिंग समिति का गठन।

3. सक्षम प्राधिकारी, संबंधित क्षेत्र के संबंध में योग्यता, अनुभव और ज्ञान का अभिनिश्चय करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली स्क्रीनिंग समिति का गठन करेगा, -

- (i) कार्यकारी अभियंता; तथा
- (ii) अधीक्षक।

प्रमाण-पत्र के लिए पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यताएं।

4. कोई भी व्यक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं तथा पात्रता नहीं रखता हो, अर्थात् :-

- (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किसी संस्था या बोर्ड या विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिकस इंजीनियरिंग में उपाधि और उपाधि उत्तीर्ण करने के बाद 'ए' श्रेणी बिजली टेकेदार के अधीन या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अर्ध सरकारी विभाग या संगठन में बिजली प्रतिष्ठान के निर्माण, संचालन, अनुरक्षण के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का अनुभव रखता हो ;

अथवा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किसी संस्था या बोर्ड या विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिकस इंजीनियरिंग में उपाधि-पत्र और उपाधि-पत्र उत्तीर्ण करने के बाद 'ए' श्रेणी बिजली टेकेदार के अधीन या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अर्ध सरकारी विभाग या संगठन में बिजली प्रतिष्ठान के निर्माण, संचालन, अनुरक्षण के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता हो ;

- (ख) वह सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को अठारह वर्ष से कम या पैंसठ वर्ष से अधिक की आयु का न हो :

परन्तु वह पच्चपन वर्ष की आयु पूरी होने पर सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल द्वारा, अनुबन्ध I में, जारी किए गए चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा ; तथा

- (ग) वह भारत का नागरिक हो।

परमिट के लिए पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यताएं।

5. कोई भी व्यक्ति परमिट प्राप्त करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं तथा पात्रता नहीं रखता हो,-

- (क) किसी संस्था या बोर्ड से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिकस इंजीनियरिंग में उपाधि-पत्र और 'ए' श्रेणी बिजली टेकेदार के अधीन या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अर्ध सरकारी विभाग या संगठन में बिजली तार और अन्य स्थापना कार्य में एक वर्ष के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण किया हो;

अथवा

किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से तार मिस्त्री, लाइनमैन और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में प्रमाण-पत्र या उपाधि-पत्र और शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 52) के अधीन राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र रखता हो, और 'ए' श्रेणी बिजली टेकेदार के अधीन या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अर्ध सरकारी विभाग या संगठन में बिजली तार और अन्य स्थापना कार्य में तीन वर्ष (इसमें शिक्षुता अवधि भी शामिल है) के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण किया हो ;

- (ख) वह सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को अठारह वर्ष से कम या पैंसठ वर्ष से अधिक की आयु का न हो :

परन्तु वह पच्चपन वर्ष की आयु पूरी होने पर सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल द्वारा, अनुबन्ध I में, जारी किए गए चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा ; तथा

- (ग) वह भारत का नागरिक हो।

6. (1) आवेदक, अपेक्षित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित छाया प्रतियां तथा अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित **प्ररूप I** में प्रमाण-पत्र या परमिट प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगा। प्रमाण-पत्र या परमिट के लिए आवेदन।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, आवेदन की प्रमाणिकता सत्यापित करने के लिए उसे स्क्रीनिंग समिति को भेजेगा। स्क्रीनिंग समिति आवेदन की प्रमाणिकता सत्यापित करेगी और उसके बाद आवेदक को नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे स्थान पर और ऐसी तिथि को व्यक्तिगत रूप में मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करेगी। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, स्क्रीनिंग समिति, अपनी सिफारिशों सहित सक्षम प्राधिकारी को आवेदन भेजेगी।

(3) स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद और सभी सुसंगत शर्तों के पूरा होने के अधीन, सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को **प्ररूप II या III** में प्रमाण-पत्र या परमिट, जैसी भी स्थिति हो, जारी करेगा। आवेदक उसे कार्यालय वैबसाइट से डॉउनलोड करेगा :

परन्तु यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर आवेदन और/या समर्थित दस्तावेजों में कोई त्रुटि ध्यान में आती है, तो सक्षम प्राधिकारी को आवेदन रद्द करने की शक्तियाँ होंगी और उसके बारे में आवेदक को नियमानुसार सात दिन के भीतर संसूचित करेगा।

7. इन नियमों के अधीन प्रदत्त प्रत्येक प्रमाण-पत्र या परमिट प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा तथा पांच वर्ष की अनधिक अवधि के लिए वैध होगा। प्रमाण-पत्र तथा परमिट की वैधता।

परन्तु प्रमाण-पत्र या परमिट धारकों को उसकी रद्द अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के बिजली कार्य करने की अनुमति नहीं होंगी।

8. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन प्रमाण-पत्र या परमिट प्रदान किया गया है, ऐसे प्रमाण-पत्र या परमिट की वैधता की समाप्ति से एक मास पूर्व अपेक्षित दस्तावेजों तथा अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित **प्ररूप IV** में प्रमाण-पत्र या परमिट के नवीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगा : प्रमाण-पत्र तथा परमिट का नवीकरण।

परन्तु नवीकरण के लिए उक्त अवधि की समाप्ति के बाद, सक्षम प्राधिकारी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी विलम्ब फीस सहित ऐसे प्रमाण-पत्र या परमिट के नवीकरण के लिए आवेदन ग्रहण कर सकता है :

परन्तु यह और कि पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद किसी प्रमाण-पत्र या परमिट का नवीकरण नहीं किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, आवेदन की प्रमाणिकता सत्यापित करने के लिए उसे स्क्रीनिंग समिति को भेजेगा। स्क्रीनिंग समिति आवेदन की प्रमाणिकता सत्यापित करेगी और, अपनी सिफारिशों सहित सक्षम प्राधिकारी को आवेदन भेजेगी।

(3) स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद और सभी सुसंगत शर्तों के पूरा होने के अधीन, सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को **प्ररूप V या VI** में प्रमाण-पत्र या परमिट, जैसी भी स्थिति हो, जारी करेगा। आवेदक उसे कार्यालय वैब साइट से डाऊलोड करेगा :

परन्तु यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर आवेदन और/या समर्थित दस्तावेजों में कोई त्रुटि ध्यान में आती है, तो सक्षम प्राधिकारी को आवेदन रद्द करने की शक्तियाँ होंगी और उसके बारे में आवेदक को नियमानुसार सात दिन के भीतर संसूचित करेगा।

9. सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति को जारी किए गए किसी प्रमाण-पत्र या परमिट को ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, के लिए निलंबित करने या वापिस लेने के आदेश करने की शक्तियाँ होंगी, यदि उसकी राय में, उसका धारक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है और अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों की पालना नहीं करता है या किसी अन्य अनाचार का दोषी है : प्रमाण-पत्र तथा परमिट का निलंबन करना या वापिस लेना।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रमाण-पत्र या परमिट के निलम्बन या वापिस लेने का कोई आदेश पारित नहीं करेगा।

प्रमाण-पत्र के स्तर का उन्नयन करना।

10. सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति की योग्यताएं तथा अनुभव को सुनिश्चित करते हुए उसे जारी किए गए किसी प्रमाण-पत्र का उन्नयन करने की शक्तियां होंगी। तथापि, आगे कोई भी उन्नयन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह परिचालन और अनुरक्षण से संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का पर्याप्त अनुभव प्राप्त नहीं कर लेता है। वह अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस सहित प्ररूप VII में यथा वर्णित सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। तथापि, तैतीस के०वी० लेवल से अधिक का प्राधिकार, केवल ऐसे प्रमाण-पत्र के धारक को प्रदान किया जाएगा, जो किसी विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिकस इंजीनियरिंग में उपाधि रखता हो। प्रमाण-पत्र परीक्षा के आधार पर पहले से ही प्रदान किए गए प्रमाण-पत्र को अपेक्षित अनुभव अर्थात् डिप्लोमा धारक को पांच वर्ष पूर्ण करने के उपरांत, आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र धारक को दस वर्ष पूर्ण करने के उपरांत और अन्य को पन्द्रह वर्ष पूर्ण करने के उपरांत ही पूर्व प्रैक्टिस के अनुसार उन्नयन किया जाएगा।

प्रमाण-पत्र और परमिट का अंतरण।

11. किसी अन्य राज्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र या परमिट धारक किसी व्यक्ति को अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस के भुगतान पर उसके प्रमाण-पत्र या परमिट को पृष्ठांकित (नियम 4 तथा 5) में यथा वर्णित योग्यताओं और अनुभव के मानदण्ड को पूरा करने के अध्यक्षीन करवाने पर 'ए' श्रेणी बिजली ठेकेदार के साथ अनिवार्य अमले के रूप में हरियाणा राज्य में बिजली पर्यवेक्षक या तार मिस्त्री के रूप में कार्य करने के लिए अनुमत किया जाएगा।

अनुज्ञप्ति के लिए पात्रता, अर्हक अमला और मानदण्ड।

12. कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों और मानदण्ड को पूरा नहीं करता है, अर्थात् :-

- (क) वह भारत का नागरिक होना चाहिए ;
- (ख) वह सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को अठारह वर्ष से कम या पैंसठ वर्ष की आयु से अधिक का न हो ;
- (ग) उसका हरियाणा राज्य में पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए, जिसके लिए हरियाणा राज्य के लिए जी०एस०टी० पंजीकरण प्रस्तुत करेगा ;
- (घ) उसके पास ड्राईंग (650 वोल्ट से अधिक के मामले में) तैयार करने के लिए पर्याप्त ड्राईंग सुविधाएं और अनुबंध- II के अनुसार पुस्तकालय सुविधाएं होनी चाहिए ;
- (ङ.) वह अनुबंध कार्यों के प्रयोजन के लिए पूर्णकालिक आधार पर निम्नलिखित अर्हक अमला नियोजित करेगा और अनुबंध-III में उनकी सहमति तथा घोषणा संलग्न करेगा और उसके अनिवार्य अमले के साथ व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होगा,-
 - (i) एल०टी०- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र रखने वाले एक बिजली पर्यवेक्षक और एक तार मिस्त्री/पर्यवेक्षक नियोजित किया जाएगा ;
 - (ii) एच०टी०- संबंधित वोल्टेज लेवल, जिसके लिए ठेकेदार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र रखने वाले एक बिजली पर्यवेक्षक और दो तार मिस्त्री या पर्यवेक्षक नियोजित किये जाएंगे ;
 - (iii) ई०एच०टी०- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र रखने वाले दो बिजली पर्यवेक्षक, जिसमें से एक संबंधित वोल्टेज लेवल, जिसके लिए ठेकेदार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, से होना चाहिए और तीन पर्यवेक्षक या तार मिस्त्री नियोजित किये जाएंगे ;

परन्तु अनुज्ञप्ति 'ए' बिजली ठेकेदार के साथ अनिवार्य अमले के रूप में कार्यरत प्रमाण-पत्र धारक या तार मिस्त्री धारक को कार्य छोड़ने से पहले फर्म या कंपनी या ठेकेदार को एक मास का नोटिस देना होगा या इस संबंध में 'निराक्षेप प्रमाण-पत्र' सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पण.-

उत्पादन या विनिर्माण से संबंधित ईकाइयां, कारखानों के नियमित परिचालनों के लिए नियोजित अमले से ठेकेदार अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिए नियोजित अमले को अलग करना चाहिए। अनुज्ञप्ति देने की प्रक्रिया के अधीन या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 3 तथा 5 के अधीन नियोजित अमले को किसी भी कारण से परस्पर मिलाया नहीं जाएगा। अनुज्ञप्ति देने की प्रक्रिया और उक्त विनियमों के प्रयोजन के लिए अलग से अमला रखने में असफल होने पर, इन नियमों की उल्लंघना समझी जाएगी और अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए दायी होगी ;

- (च) अनुबंध- IV के अनुसार वोल्टेज के विभिन्न लेवलों के लिए बिजली उपकरण खरीद किए जाएंगे और वे आई०एस०आई० मार्क या समकक्ष गुणवत्ता के होंगे और उपकरणों की जांच के समय पर बीजक सहित जांच प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और उपकरणों की सरकार द्वारा अनुमोदित एन०ए०बी०एल० मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा सम्यक् रूप से जांच होनी चाहिए। अनुज्ञप्ति के प्रत्येक नवीकरण के लिए बिजली उपकरणों की भी सरकार द्वारा अनुमोदित एन०ए०बी०एल० मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा सम्यक् रूप से जांच होनी चाहिए। तथापि, आवेदक, सक्षम प्राधिकारी को कार्यालय में भौतिक जांच के लिए अपने बिजली उपकरणों को प्रस्तुत करेगा ;
- (छ) वह आवेदन के साथ अंतिम तीन वर्ष की आयकर विवरणी और आवर्त/तुलन पत्र संलग्न करेगा। विभिन्न प्रवर्गों के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए पात्रता नियमानुसार होगी :-
- एम०वी०** (650 वोल्ट) तक, अंतिम तीन वर्ष के दौरान एक वर्ष में न्यूनतम बीस लाख का आवर्त ;
 - एच०वी०** तक- अंतिम तीन वर्ष के दौरान एक वर्ष में न्यूनतम पचास लाख का आवर्त ;
 - ई०एच०वी०** तक- अंतिम तीन वर्ष के दौरान एक वर्ष में न्यूनतम एक करोड़ रुपये का आवर्त ;
- (ज) वह उपरोक्त यथा वर्णित के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा,-
- अनुबंध-V में फर्म/कंपनी के संबंध में वचनबद्धता ;
 - आवास सबूत अर्थात् आधार कार्ड/मतदाता कार्ड ;
 - स्थाई खाता संख्या (पीएएन) ;
 - भागीदारी फर्म/कंपनी के मामले में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में प्राधिकार ;
 - भागीदारी फर्म/कंपनी के मामले में प्रस्ताव सहित ज्ञापन/विलेख।

13. (1) आवेदक, हरियाणा राज्य में अनुबंध-VI में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों पर 650 वोल्ट तक कम दाब, मध्यम दाब के सभी प्रकार के बिजली प्रतिष्ठानों के निर्माण और स्थापना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित छाया प्रतियां तथा अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित **प्ररूप VIII** में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगा :

अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन।

परन्तु उक्त अनुज्ञप्ति का धारक, वचनबद्धता भी प्रस्तुत करेगा कि वह श्रम विधियों के उपबन्धों की अनुपालना करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, आवेदन की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए उसे स्क्रीनिंग समिति को भेजेगा। स्क्रीनिंग समिति आवेदन की प्रामाणिकता सत्यापित करेगी और उसके बाद आवेदक को नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे स्थान पर और ऐसी तिथि को व्यक्तिगत रूप में मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करेगी। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, स्क्रीनिंग समिति, अपनी सिफारिशों सहित सक्षम प्राधिकारी को आवेदन भेजेगी।

(3) स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद और सभी सुसंगत शर्तों के पूरा होने के अधीन, सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को **प्ररूप IX** में अनुज्ञप्ति जारी करेगा। आवेदक उसे कार्यालय वेब साइट से डाऊनलोड करेगा :

परन्तु यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर आवेदन और/या समर्थित दस्तावेजों में कोई त्रुटि ध्यान में आती है, तो सक्षम प्राधिकारी को आवेदन रद्द करने की शक्तियाँ होंगी और उसके बारे में आवेदक को नियमानुसार सात दिन के भीतर संसूचित करेगा।

14. इन नियमों के अधीन प्रदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए जारी की जाएगी तथा पांच वर्ष की अनधिक अवधि के लिए वैध होगा।

अनुज्ञप्ति के लिए वैधता।

परन्तु अनुज्ञप्त बिजली ठेकेदार को सभी प्रकार के बिजली प्रतिष्ठान कार्य के निर्माण और स्थापना को कार्यान्वित करने के लिए इसकी रद्द अवधि के दौरान अनुमति नहीं होगी या अमले की अनिवार्यता के कारण अनुज्ञप्ति रद्द होने की स्थिति में, अनुज्ञप्ति उसके नवीनीकरण तक की ऐसी अवधि के लिए रद्दकरण के लिए दायी होगी।

अनुज्ञप्ति का नवीकरण।

15. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इन शर्तों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, अनुज्ञप्ति की वैधता की समाप्ति से एक मास पूर्व अपेक्षित दस्तावेजों तथा अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित प्ररूप X में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगा :

परन्तु नवीकरण के लिए उक्त अवधि की समाप्ति के बाद, सक्षम प्राधिकारी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी विलम्ब फीस सहित ऐसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन ग्रहण कर सकता है :

परन्तु यह और कि पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, आवेदन की प्रमाणिकता सत्यापित करने के लिए उसे स्क्रूनिंग समिति को भेजेगा। स्क्रूनिंग समिति आवेदन की प्रमाणिकता सत्यापित करेगी और, अपनी सिफारिशों सहित सक्षम प्राधिकारी को आवेदन भेजेगी।

(3) स्क्रूनिंग समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद और सभी सुसंगत शर्तों के पूरा होने के अध्याधीन, सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को प्ररूप XI में अनुज्ञप्ति जारी करेगा। आवेदक उसे कार्यालय वेब साइट से डाऊलोड करेगा :

परन्तु यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर आवेदन और/या समर्थित दस्तावेजों में कोई त्रुटि ध्यान में आती है, तो सक्षम प्राधिकारी को आवेदन रद्द करने की शक्तियाँ होंगी और उसके बारे में आवेदक को नियमानुसार सात दिन के भीतर संसूचित करेगा।

अनुज्ञप्ति का निलंबन या वापिस लेना।

16. सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति को जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति को ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, के लिए निलंबित करने या वापिस लेने के आदेश करने की शक्तियाँ होंगी, यदि उसकी राय में, उसका धारक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है और अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों की पालना नहीं करता है या किसी अन्य अनाचार का दोषी है:

परन्तु सक्षम प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना 'ए' श्रेणी बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति का निलम्बन करने या वापिस लेने का कोई आदेश पारित नहीं करेगा।

वोल्टेज स्तर का उन्नयन करना।

17. सक्षम प्राधिकारी को किसी आवेदक की इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट योग्यताओं के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षक/तार मिस्त्री के रूप में उसके अनुभव को सुनिश्चित करते हुए उच्चतम वोल्टेज लेवल पर कार्य कार्यान्वित करने के लिए किसी 'ए' श्रेणी बिजली अनुज्ञप्ति का उन्नयन करने की शक्तियाँ होंगी। तथापि, आगे कोई भी उन्नयन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का पर्याप्त अनुभव प्राप्त नहीं कर लेता है। आवेदक, नियम 12 में यथा विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन अपेक्षित दस्तावेजों और अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित प्ररूप XII में सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगा।

अनुज्ञप्ति का अन्तरण।

18. (1) किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति धारक किसी व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के अध्याधीन कि ऐसा व्यक्ति, सरकार द्वारा प्रदान किए गए कार्यों के निष्पादन के लिए अनुज्ञप्ति के लिए सभी अपेक्षाएँ पूरी करेगी, हरियाणा राज्य में उसे अन्तरित करवाने के लिए अनुमत किया जाएगा। आवेदक अपेक्षित दस्तावेजों और अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगा।

(2) किसी व्यक्ति को अधिकतम छह मास की अवधि के लिए अस्थायी रूप से हरियाणा राज्य में आवंटित कार्य को करने /पूरा करने के लिए इस शर्त के अध्याधीन अनुमत किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति के पास किसी राज्य द्वारा जारी वैध अनुज्ञप्ति होनी चाहिए :

परन्तु ऐसा व्यक्ति, बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति के साथ ही साथ अनिवार्य अमले से संबंधित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियों और अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित प्ररूप VIII में सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगी/करेगा।

अपील।

19. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अपेक्षित दस्तावेजों सहित सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तिथि से साठ दिन के भीतर अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील दायर कर सकता है।

अनुज्ञप्ति में परिवर्तन।

20. अनुज्ञप्ति का कोई धारक, जो व्यवसाय परिसर या दुकान के नाम या पता में या फर्म अथवा कंपनी के गठन में परिवर्तन करवाने का इच्छुक है, तो सुसंगत दस्तावेजों और अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित सक्षम प्राधिकारी को नया ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा।

21. सक्षम प्राधिकारी, सरकार द्वारा प्रदान किए गए टर्नकी कार्यों वाली किसी फर्म या कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से उच्चतम वोल्टेज लेवल बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है :

टर्नकी ठेकेदार अनुज्ञप्ति।

परन्तु ऐसी फर्म या कंपनी किसी अन्य राज्य की समरूप स्तर की बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति रखती हो :

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति किसी फर्म या कंपनी को बारी आए बिना प्रदान की जा सकती है, बशर्ते ऐसी फर्म या कंपनी के पास सरकार द्वारा प्रदान किया गया और निष्पादित किए जाने के लिए लम्बित वैध टर्नकी कार्य हो। तथापि, यह अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए नियमों और विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षित निबन्धनों और शर्तों को पूरा करेंगी।

22. (1) यदि कोई प्रमाण-पत्र या परमिट या अनुज्ञप्ति, जैसी भी स्थिति हो, नष्ट हो जाती है या गुम हो जाती है या विरूपित या विकृत या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो आवेदक सुसंगत दस्तावेजों और अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित प्ररूप XIII में सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगा।

प्रमाण-पत्र, परमिट और अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि प्रदान करना।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, आवेदक के दस्तावेजों की प्रमाणिकता और पहचान का सत्यापन करने के बाद, शेष अवधि के लिए यथा संभव शीघ्र प्रमाण-पत्र या परमिट या अनुज्ञप्ति, जैसी भी स्थिति हो, की प्रतिलिपि जारी करेगा। आवेदक उसे कार्यालय वैबसाइट से डाऊनलोड करेगा।

23. इन नियमों के अधीन सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद सभी सेवाओं का निपटान करने की समयावधि तीस दिन होगी।

सेवाओं के लिए समयावधि।

24. (1) इस प्रकार अधिक्रमित पंजाब सरकार, सिंचाई तथा विद्युत विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 133-4EL-62/22977 दिनांक 17 सितम्बर, 1962, हरियाणा राज्यार्थ, और इस संबंध में पूर्व जारी की गई सभी अन्य अधिसूचनाओं के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के समरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

व्यावृत्ति।

(2) इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई प्रमाण-पत्र या परमिट या अनुज्ञप्ति, ऐसी अवधि, जिसके लिए वह जारी किया गया है/की गई है, की समाप्ति तक वैध रहेगी। आगे आवेदक, इन नियमों के अधीन अपना प्रमाण-पत्र या परमिट या अनुज्ञप्ति, जैसी भी स्थिति हो, का नवीकरण करवाने के लिए पात्र होगा।

प्ररूप I

[देखिए नियम 6 (1)]

सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट प्रदान करने के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम : _____
2. पिता का नाम : _____
3. लिंग : _____
4. राष्ट्रियता : _____ आधार संख्या _____
5. जन्म तिथि : _____ आयु: _____ दिन _____ मास _____ वर्ष _____
6. स्थायी पता : _____
7. संसूचना के लिए पता : _____
8. मोबाईल नं० : _____ ई-मेल आई.डी. : _____
9. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता :

क्रम संख्या	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्त अंक/अधिकतम अंक	प्रतिशतता

10. क्या आप किसी राज्य अनुज्ञापन बोर्ड/मुख्य बिजली निरीक्षक द्वारा जारी किए गए सक्षमता प्रमाण-पत्र/तार मिस्त्री परमिट के धारक हैं। यदि ऐसा है, तो विवरण दें :

क्रम संख्या	प्रवर्ग	परमिट संख्या	जारी करने वाला प्राधिकारी	वैधता सहित जारी करने की तिथि

11. क्या आप स्थायी आधार पर नियोजित हैं, यदि ऐसा है, तो विवरण दे :

क्रम संख्या	नियोक्ता का नाम	आवेदक द्वारा धारित पद का विवरण	से	तक

12. अनुभव का विवरण :

क्रम संख्या	नियोक्ता का नाम	आवेदक द्वारा धारित पद का विवरण	से	तक

13. फीस का विवरण :

राशि	चालान/जीआरएन संख्या	तिथि	खजाने का नाम

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सही हैं। मैं, खाना संख्या 10 में दर्शाए गए से अन्यथा राज्य अनुज्ञापन बोर्ड/मुख्य बिजली निरीक्षक द्वारा जारी किए गए पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण पत्र का धारक नहीं हूँ। मैं इस आवेदन के अनुसरण में जारी किए जाने वाले मेरे सक्षमता प्रमाण-पत्र को रद्द करने के लिए भी सहमत हूँ। यदि, आवेदन में प्रस्तुत किए गए विवरण किसी भी स्तर पर गलत या झूठे पाए जाते हैं।

स्थान : _____

दिनांक : _____

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की छाया प्रतियां :-

1. मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र, जिसमें जन्म तिथि दर्शाई गई हो।
2. निवास सबूत।
3. पहचान सबूत।
4. दो फोटोग्राफ।
5. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल तथा इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि/ उपाधि पत्र या इसके समकक्ष।
6. अनुभव प्रमाण-पत्र।
7. आवेदक के हस्ताक्षर के तीन नमूने।
8. सरकारी /सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल से चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, यदि वह आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पचपन वर्ष की आयु से अधिक का हो।
9. सेवानिवृत्त अभियता के मामले में सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति।
10. लेखा शीर्ष : '0043 बिजली पर कर और शुल्क- अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 -51-800-99-51-अन्य प्राप्तियां' प्राप्तियों के अधीन हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के प्रयोजन हेतु खजाना चालान।

प्ररूप II*{देखिए नियम 6 (3)}*

संख्या ई. सी. _____/20_____

दिनांक

जन्म तिथि :

सक्षमता प्रमाण पत्र का फॉर्मैट

मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा की संतुष्टि हो गई है कि श्री/श्रीमती _____ सुपुत्र/सुपुत्री श्री _____ निवासी _____ की स्क्रीनिंग समिति द्वारा अभिनिश्चित योग्यताओं तथा अनुभव के अनुसार सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए पात्र पाया गया है/पाई गई है। इसके द्वारा सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

दिनांक :

मुख्य बिजली निरीक्षक,
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

अनुदेश

1. इस प्रमाण-पत्र का पाँच वर्ष में एक बार इसकी समाप्ति की तिथि से पूर्व नवीकरण करवाया जाना है, जिसमें असफल रहने पर यह स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा।
2. लेखा शीर्ष : '0043 बिजली पर कर और शुल्क- अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 -51-800-99-51-अन्य प्राप्तियां' के अधीन हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के प्रयोजन के लिए खजाना चालान।
3. सरकारी /सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल से चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, यदि वह आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पचपन वर्ष की आयु से अधिक का हो।

प्ररूप -III

[देखिए नियम 6 (3)]

संख्या ई. सी. _____/20_____

दिनांक

जन्म तिथि :

तार मिस्त्री परमिट के लिए फॉर्मैट

मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा की संतुष्टि हो गई है कि श्री/श्रीमती _____
सुपुत्र/सुपुत्री श्री _____ निवासी _____ की स्क्रीनिंग समिति द्वारा अभिनिश्चित योग्यताओं तथा अनुभव के
अनुसार तार मिस्त्री परमिट प्रदान करने के लिए पात्र पाया गया है/पाई गई है। इसके द्वारा तार मिस्त्री परमिट प्रदान किया
जाता है।

दिनांक :

मुख्य बिजली निरीक्षक,
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

अनुदेश

1. इस प्रमाण-पत्र का पाँच वर्ष में एक बार इसकी समाप्ति की तिथि से पूर्व नवीकरण करवाया जाना है, जिसमें असफल रहने पर यह स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा।
2. लेखा शीर्ष : '0043 बिजली पर कर और शुल्क- अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 -51-800-99-51-अन्य प्राप्तियां' के अधीन हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के प्रयोजन के लिए खजाना चालान।
3. सरकारी /सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल से चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, यदि वह आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पचपन वर्ष की आयु से अधिक का हो।

प्ररूप –IV

[देखिए नियम 8 (1)]

सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट के नवीकरण के लिए आवेदन

मैं, इसके द्वारा, मेरे सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ, जो इसके साथ संलग्न है और ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

1	(क)	आवेदक का नाम (जैसा सक्षमता प्रमाण- पत्र/तार मिस्त्री परमिट में दिया गया है)	
	(ख)	आयु और जन्म तिथि	
	(ग)	तिथि, जिसको आवेदक पचपन वर्ष की आयु पूरी करता है (यदि आयु पचपन वर्ष से अधिक है तो चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
2		पिन कोड सहित वर्तमान पता	
3		पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण-पत्र संख्या/तार मिस्त्री परमिट संख्या	
4		समाप्ति की तिथि	
5		क्या आवेदन नवीकरण के लिए विलम्ब से किया गया है, यदि ऐसा है तो नवीकरण के लिए विलम्ब की अवधि (मास और वर्ष में)	
6		जमा करवाई गई फीस के ब्यौरे	
		खजाना का नाम	
		जीआरएन संख्या और चालान की तिथि	
		जमा करवाई गई राशि	
7		नियोक्ता का नाम और पता, यदि कोई हो। यदि नियोक्ता ठेकेदार है तो उसकी अनुज्ञप्ति संख्या वर्णित की जाए।	
8		क्या अंतिम नवीकरण की उत्तरवर्ती अवधि के दौरान नियोक्ता में कोई परिवर्तन है।	

घोषणा

1. आवेदन में दी गई जानकारी सही है।
2. मैं ठेकेदार के रूप में/ठेकेदार के निमित्त आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

स्थान : _____

दिनांक : _____

आवेदक के हस्ताक्षर

निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं :-

1. मूल सक्षमता प्रमाण-पत्र/ तार मिस्ट्री परमिट।
2. लेखा शीर्ष : '0043 बिजली पर कर और शुल्क- अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 -51-800-99-51-अन्य प्राप्तियां' के अधीन हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के प्रयोजन हेतु खजाना चालान।
3. सरकारी /सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल से चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, यदि वह आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पचपन वर्ष की आयु से अधिक का हो।
4. सक्षमता प्रमाण-पत्र/ तार मिस्ट्री परमिट की समाप्ति के मामले में, रद्द अवधि के दौरान विलम्ब या कार्यरत नहीं रहने के लिए वचनबद्धता।
5. वर्तमान कार्य स्थिति।

प्ररूप -V

[देखिए नियम 8 (3)]

संख्या ई० सी० _____/20 _____ दिनांक

जन्म तिथि :

सक्षमता प्रमाण पत्र का नवीकरण

मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा की संतुष्टि हो गई है कि श्री/श्रीमती _____ सुपुत्र/सुपुत्री श्री _____ निवासी _____ की स्क्रीनिंग समिति द्वारा अभिनिश्चित योग्यताओं तथा अनुभव के अनुसार सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए पात्र पाया गया है/पाई गई है। इसके द्वारा सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

दिनांक :

मुख्य बिजली निरीक्षक,
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

अनुदेश

1. इस प्रमाण-पत्र का पाँच वर्ष में एक बार इसकी समाप्ति की तिथि से पूर्व नवीकरण करवाया जाना है, जिसमें असफल रहने पर यह स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा।
2. लेखा शीर्ष : '0043 बिजली पर कर और शुल्क- अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 -51-800-99-51-अन्य प्राप्तियां ' के अधीन हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के प्रयोजन के लिए खजाना चालान।
3. सरकारी /सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल से चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, यदि वह आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पचपन वर्ष की आयु से अधिक का हो।

प्ररूप -VI*{देखिए नियम 8 (3)}*

संख्या ई. सी. _____ / 20_____

दिनांक

जन्म तिथि :

तार मिस्त्री परमिट का नवीकरण

मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा की संतुष्टि हो गई है कि श्री/श्रीमती _____
सुपुत्र/सुपुत्री श्री _____ निवासी _____ की स्क्रीनिंग समिति द्वारा अभिनिश्चित
योग्यताओं तथा अनुभव के अनुसार तार मिस्त्री परमिट प्रदान करने के लिए पात्र पाया गया है/पाई गई है। इसके द्वारा तार
मिस्त्री परमिट प्रदान किया जाता है।

दिनांक :

मुख्य बिजली निरीक्षक,
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

अनुदेश

1. इस प्रमाण-पत्र का पाँच वर्ष में एक बार इसकी समाप्ति की तिथि से पूर्व नवीकरण करवाया जाना है, जिसमें असफल रहने पर यह स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा।
2. लेखा शीर्ष : '0043 बिजली पर कर और शुल्क- अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 -51-800-99-51-अन्य प्राप्तियां ' के अधीन हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के प्रयोजन के लिए खजाना चालान।
3. सरकारी /सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल से चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, यदि वह आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पचपन वर्ष की आयु से अधिक का हो।

प्ररूप VII

[देखिए नियम 10]

सक्षमता प्रमाण-पत्र के उन्नयन के लिए आवेदन

1	नाम			
2	पता तथा पिन कोड			
3	योग्यता			
	शैक्षणिक			
	व्यावसायिक			
4	आवेदक द्वारा धारित पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण-पत्र के ब्यौरे			
	प्रमाण-पत्र संख्या			
	जारी करने की तिथि			
	वर्तमान स्थिति			
5	अनुभव			
	नियोक्ता का नाम	आवेदक द्वारा धारित पद के विवरण	से	तक
	अनुभव की कुल अवधि	वर्ष	मास	

6	क्या पूर्व में उन्नयन के लिए आवेदन किया गया है ? यदि ऐसा है तो, साक्षात्कार के लिए बुलाने वाली तिथि वर्णित करें।	
7	आवेदिक क्षेत्र वोल्टेज लेवल	

स्थान : _____

दिनांक : _____

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज :

1. सक्षमता प्रमाण-पत्र की प्रति।
2. अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति, यदि कोई हो।

प्ररूप VIII

[देखिए नियम 13 (1)]

'ए' श्रेणी बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

1	नाम, जिसके लिए बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है	
2	व्यावसायिक पता— पिन कोड— ई मेल— दूरभाष नं०—	
3	कंपनी की शैली : कंपनी अधिनियम के अधीन सम्बद्ध स्वामित्व/कंपनी/फर्म यदि कंपनी/फर्म है, तो फर्म/कंपनी की स्थिति को साबित करने के लिए दस्तावेज संलग्न करें।	
4	क्या कंपनी के पास हरियाणा/राज्य संघक्षेत्र चण्डीगढ़/एनसीटी दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय।	
5	स्वामित्व या भागीदारों/निदेशकों का पूरा नाम और पता 1 2 3 4	
6	एजेंट या प्रबन्धक का पूरा नाम (लिमिटेड कंपनी के मामले में)	
7	क्या आवेदक विनिर्माण फर्म या उत्पादन ईकाई है।	
8	दस्तावेजों और हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम।	
9	क्या कोई ठेकेदार अनुज्ञप्ति पूर्व में उसी नाम से प्रदान की गई है ? यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे दें।	
10	क्या कोई ठेकेदार अनुज्ञप्ति किसी अन्य राज्य से इसी नाम से प्रदान की गई है ? यदि ऐसा है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें :- जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम - जारी करने की तिथि - अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि - निष्पादित किए जाने वाले अनुमत कार्य के ब्यौरे -	
11	क्या ड्राईंग, ब्लू प्रिंट इत्यादि को तैयार करने के लिए पर्याप्त ड्राईंग कार्यालय की सुविधाएं उपलब्ध हैं (650 वोल्टेज से अधिक के मामले में)।	
12	क्या खाना 13 में दर्शाया गया अमला, इन नियमों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 के अनुसार कार्य करने के लिए विशेष रूप से निर्धारित हैं।	

13	तकनीकी योग्यताएं और अनुभव, जो ए श्रेणी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं, रखने वाले पूर्णकालिक आधार पर नियोजित सभी व्यक्तियों के नाम।			
क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	योग्यताएं	प्रमाण—पत्र और परमिट संख्या तथा उनकी वैधता की तिथि	क्या संलग्न प्ररूप में की गई घोषणा साथ लगाई गई है।

14. क्या अनुबंध-II के अनुसार ई-पुस्तकालय/पुस्तकालय उपलब्ध है ? यदि हाँ, तो सबूत संलग्न करें।
15. हरियाणा में किए गए प्रमुख कार्य
(विद्युत निरीक्षणालय से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार योजना, प्रतिष्ठान आदि के विवरण की सूची के साथ संलग्न किया जाना चाहिए)।
16. (i) राज्य अनुज्ञापन बोर्ड/ मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा
(ii) सरकार और अन्य एजेंसियों
(iii) किसी विधि न्यायालय द्वारा, कंपनी/फर्म पर अधिरोपित दंड और शास्ति के ब्यौरे।

घोषणा

- मैंने/हमने बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति ए श्रेणी बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए शर्तों और आवेदन के साथ लगाए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और प्रासंगिक दस्तावेज कालानुक्रमिक क्रम में संलग्न हैं।
- मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि खाना 13 में विनिर्दिष्ट अमला, इन नियमों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के अधीन कार्य करने के लिए विशेष रूप से आशयित हैं। अमले की सेवा, स्थापना के नियमित संचालन के लिए उपयोग नहीं की जाएगी और न ही उन्हें उक्त विनियमों के विनियम 3 और 5 के अधीन नियोजित अमले के साथ मिलाया जाएगा। मैं/हम, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे पास विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ-साथ विद्युत प्रतिष्ठान से संबंधित भारतीय मानक संस्थानों के अभ्यास और मानकों के प्रासंगिक की संहिता की प्रति है। मैं/हम निबंधनों और शर्तों, जिसके अधीन बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, को पूर्ण रूप से समझता हूँ/समझते हैं, जिनमें से किसी का उल्लंघन अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए दायी होगा।
- मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम श्रम विधियों के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करूंगा/करेंगे।
- मैं/हम इसके द्वारा ऐसे रजिस्ट्रों और अभिलेखों को बनाए रखने के लिए भी सहमत हूँ/हैं, जो बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूपों में विहित किए जाए।
- मैं/हम, इसके द्वारा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन में प्रस्तुत तथ्य मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान से सत्य और सही है और इनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
- मैं/हम इसके द्वारा, फर्म के निमित्त व्यक्तिगत रूप में इस आवेदन को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं।
- मैं/हम पूरी तरह से जानता हूँ/जानते हैं कि इस स्वतः घोषणा की वैधता किसी विधि न्यायालय में सम्यक् रूप से तथ्य के कथन की शपथ के समरूप है और इस आवेदन में उपलब्ध करवाई गई कोई झूठी जानकारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की प्रासंगिक धाराओं के अधीन दण्ड के लिए दायी होगी।

स्थान : _____

दिनांक : _____

आवेदक/फर्म/कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

प्रस्तुत किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज :

1. मूल सक्षमता प्रमाण-पत्र और तार मिस्त्री परमिट, जो फर्म/कंपनी में कार्यरत हैं और इसके साथ उनकी लिखित सहमति और व्यक्तिगत रूप में उपस्थिति, यदि ऐसा समझना आवश्यक हो।
2. शर्तों में यथा विनिर्दिष्ट आयकर विवरणी और तुलन पत्र।
3. पैन संख्या/आधार संख्या/आयु प्रमाण-पत्र।
4. बिजली उपकरणों के संबंध में एनएबीएल या सरकारी जांच प्रयोगशाला से व्यासमापन प्रमाण-पत्र तथा उनके बिल।
5. अनुबंध III तथा V की प्रतियां।
6. हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के खजाना चालान की प्रति।
7. लेखा शीर्ष : '0043 बिजली पर कर और शुल्क- अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 -51-800-99-51-अन्य प्राप्तियां'।

प्ररूप X

[देखिए नियम 15 (1)]

बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

मैं, इसके द्वारा, मेरे बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति परमिट के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ, जो इसके साथ संलग्न है और ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

1	आवेदक का नाम (जैसा बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति में दिया गया है)		
2	पिन कोड सहित पता		
3	बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति संख्या		
4	अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि		
5	क्या आवेदन नवीकरण के लिए विलम्ब से किया गया है, यदि ऐसा है तो नवीकरण के लिए विलम्ब की अवधि (मास और वर्ष में)		
6	जमा करवाई गई फीस के ब्यौरे		
7	खजाना का नाम		
8	जीआरएन संख्या और चालान की तिथि		
	जमा करवाई गई राशि		
9	क्या पता में कोई परिवर्तन है? यदि ऐसा है, तो नया पता वर्णित करें।		
	(क)	वर्तमान पता	
	(ख)	क्या अनुज्ञप्ति में पता में परिवर्तन भी किया जाना है ? यदि ऐसा है, तो नया पता वर्णित करें।	
	क्या उपकरणों की हरियाणा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार आवश्यक जांच करवाई गई है।		
10	आवेदन की तिथि को अमले के ब्यौरे (पर्यवेक्षक और तार मिस्त्री)		
	नाम	बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति संख्या	वैधता की तिथि
12	क्या अमले कोई परिवर्तन था ? यदि ऐसा है, तो मुख्य बिजली निरीक्षक को सूचना देने की तिथि विनिर्दिष्ट की जानी।		

घोषणा

1. आवेदन में दी गई जानकारी सही है।
2. मैं/हम, अनुज्ञप्ति के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों में सभी रजिस्टर और लेखों का रखरखाव करूँगा/करेंगे।
3. मैं, ठेकेदार के रूप में/ठेकेदार के निमित्त आवेदन हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

स्थान : _____

दिनांक : _____

आवेदक के हस्ताक्षर

निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं :-

1. बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति।
2. सक्षमता प्रमाण-पत्र और तार मिस्ट्री परमिट, जो फर्म/कंपनी में कार्यरत हैं और इसके साथ उनकी लिखित सहमति और व्यक्तिगत रूप में उपस्थिति, यदि ऐसा समझना आवश्यक हो।
3. शर्तों में यथा विनिर्दिष्ट आयकर विवरणी और तुलन पत्र।
4. बिजली उपकरणों के संबंध में एनएबीएल या सरकारी जांच प्रयोगशाला से व्यासमापन प्रमाण-पत्र।
5. बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रतिवर्ष निष्पादित किए गए कार्यों के ब्यौरे।
6. अनुबंध III की प्रति।
7. प्ररूप ड. की प्रति।
8. लेखा शीर्ष : '0043 बिजली पर कर और शुल्क- अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 -51-800-99-51-अन्य प्राप्तियां' के अधीन हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के प्रयोजन हेतु खजाना चालान।

प्ररूप XII

[दिखिए नियम 15]

बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति के उन्नयन के लिए आवेदन

1	स्तर, जिसके लिए बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति उन्नयन के लिए आवेदन किया गया है	
2	फर्म का नाम— व्यावसायिक पता— पिन कोड— ई मेल— दूरभाष नं०—	
3	कंपनी की शैली : कंपनी अधिनियम के अधीन सम्बद्ध स्वामित्व/कंपनी/फर्म यदि कंपनी/फर्म है, तो फर्म/कंपनी की स्थिति को साबित करने के लिए दस्तावेज संलग्न करे।	
4	क्या कंपनी के पास हरियाणा/राज्य संघक्षेत्र चण्डीगढ़/एनसीटी दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय।	
5	स्वामित्व या भागीदारों/निदेशकों का पूरा नाम और पता 1 2 3 4	
6	एजेंट या प्रबन्धक का पूरा नाम (लिमिटेड कंपनी के मामले में)	
7	क्या आवेदक विनिर्माण फर्म या उत्पादन ईकाई है।	
8	दस्तावेजों और हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम।	
9	क्या कोई ठेकेदार अनुज्ञप्ति पूर्व में उसी नाम से प्रदान की गई है ? यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे दें।	
10	क्या कोई ठेकेदार अनुज्ञप्ति किसी अन्य राज्य से इसी नाम से प्रदान की गई है? यदि ऐसा है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें :- जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम - जारी करने की तिथि - अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि - निष्पादित किए जाने वाले अनुमत कार्य के ब्यौरे -	
11	क्या झॉईंग, ब्लू प्रिंट इत्यादि को तैयार करने के लिए पर्याप्त झॉईंग कार्यालय की सुविधाएं उपलब्ध है (650 वोल्टेज से अधिक के मामले में)।	
12	क्या खाना 13 में दर्शाया गया अमला, इन नियमों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 के अनुसार कार्य करने के लिए विशेष रूप से निर्धारित हैं।	

13	तकनीकी योग्यताएं और अनुभव, जो ए श्रेणी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं, रखने वाले पूर्णकालिक आधार पर नियोजित सभी व्यक्तियों के नाम।			
क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	योग्यताएं	प्रमाण-पत्र और परमिट संख्या तथा उनकी वैधता की तिथि	क्या संलग्न प्ररूप में की गई घोषणा साथ लगाई गई है

14. क्या अनुबंध-II के अनुसार ई-पुस्तकालय/पुस्तकालय उपलब्ध है ? यदि हाँ, तो सबूत संलग्न करें।
15. हरियाणा में किए गए प्रमुख कार्य
(विद्युत निरीक्षणालय से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार योजना, प्रतिष्ठान आदि के विवरण की सूची के साथ संलग्न किया जाना चाहिए)।
16. (i) राज्य अनुज्ञापन बोर्ड/ मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा,
(ii) सरकार और अन्य एजेंसियों,
(iii) किसी विधि न्यायालय द्वारा, कंपनी/फर्म पर अधिरोपित दंड और शास्ति के ब्यौरे।

घोषणा

- मैंने/हमने बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति 'ए' श्रेणी बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए शर्तों और आवेदन के साथ लगाए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और प्रासंगिक दस्तावेज कालानुक्रमिक क्रम में संलग्न हैं।
- मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि खाना 13 में विनिर्दिष्ट अमला, इन नियमों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के अधीन कार्य करने के लिए विशेष रूप से आशयित है। अमले की सेवा, स्थापना के नियमित संचालन के लिए उपयोग नहीं की जाएगी और न ही उन्हें उक्त विनियमों के विनियम 3 और 5 के अधीन नियोजित अमले के साथ मिलाया जाएगा। मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे पास विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ-साथ विद्युत प्रतिष्ठान से संबंधित भारतीय मानक संस्थानों के अभ्यास और मानकों के प्रासंगिक की संहिता की प्रति है। मैं/हम निबंधनों और शर्तों, जिसके अधीन बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, को पूर्ण रूप से समझता हूँ/समझते हैं, जिनमें से किसी का उल्लंघन अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए दायी होगा।
- मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम श्रम विधियों के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करूंगा/करेंगे।
- मैं/हम इसके द्वारा ऐसे रजिस्ट्रों और अभिलेखों को बनाए रखने के लिए भी सहमत हूँ/हैं, जो बोर्ड द्वारा इस परियोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूपों में विहित किए जाए।
- मैं/हम, इसके द्वारा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन में प्रस्तुत तथ्य मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान से सत्य और सही है और इनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
- मैं/हम इसके द्वारा, फर्म के निमित्त व्यक्तिगत रूप में इस आवेदन को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं।
- मैं/हम पूरी तरह से जानता हूँ/जानते हैं कि इस स्वतः घोषणा की वैधता किसी विधि न्यायालय में सम्यक् रूप से तथ्य के कथन की शपथ के समरूप है और इस आवेदन में उपलब्ध करवाई गई कोई झूठी जानकारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की प्रासंगिक धाराओं के अधीन दण्ड के लिए दायी होगी।

स्थान : _____

दिनांक : _____

आवेदक/फर्म/कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षर के हस्ताक्षर

प्रस्तुत किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज :

1. सक्षमता प्रमाण-पत्र और तार मिस्त्री परमिट, जो फर्म/कंपनी में कार्यरत हैं और इसके साथ उनकी लिखित सहमति और व्यक्तिगत रूप में उपस्थिति, यदि ऐसा समझना आवश्यक हो।
2. शर्तों में यथा विनिर्दिष्ट आयकर विवरणी और तुलन पत्र।
3. बिजली उपकरणों के संबंध में एनएबीएल या सरकारी जांच प्रयोगशाला से व्यासमापन प्रमाण-पत्र तथा उनके बिल।
4. बिजली टेकेदार अनुज्ञप्ति के आधार पर निष्पादित किए गए कार्यों का ब्यौरा।
5. अनुबंध III तथा V की प्रतियां।
6. हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के खजाना चालान की प्रति।
7. लेखा शीर्ष: '0043 बिजली पर कर और शुल्क- अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 -51-800-99-51-अन्य प्राप्तियां'।

प्ररूप XIII

[देखिए नियम 22 (1)]

सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट/बिजली

ठेकेदार अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि के लिए आवेदन

मैं, इसके द्वारा, मेरे सक्षमता प्रमाण-पत्र/तार मिस्त्री परमिट/बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि के लिए आवेदन करता हूँ, जो इसके साथ संलग्न हैं और ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

1 (क)	आवेदक का नाम जैसा सक्षमता प्रमाण-पत्र/तार मिस्त्री परमिट/बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति में है।	
(ख)	आयु और जन्म तिथि	
(ग)	तिथि जिसको आवेदक पचपन वर्ष पूर्ण करता है।	
2	पिन कोड के साथ पता	
3	दस्तावेज, जिसकी प्रतिलिपि आवश्यक है अर्थात् सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट/बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति (दस्तावेज की संख्या और तिथि विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए)	
4	केवल अनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र और परमिट की समाप्ति की तिथि	
5	क्या दस्तावेज गुम हो गया है, विकृत हो गया है, विरूपित हो गया है या नष्ट हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है।	
6	यह कब नष्ट या गुम हुआ था और क्या नष्ट या गुम होने का कोई प्रमाण उपलब्ध है।	
7	संलग्न विकृत दस्तावेज के ब्यौरे या क्षतिग्रस्त दस्तावेज का विवरण	
8	भुगतान की गई फीस का विवरण	
खजाना का नाम	चालान संख्या तथा तिथि	राशि

घोषणा

मैं, _____, इसके द्वारा, प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सत्य और सही हैं। मेरी अनुज्ञप्ति/सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट संख्या _____ दिनांक _____ को गुम/नष्ट/क्षतिग्रस्त/विकृत/विरूपित हो गया है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि यदि मूल दस्तावेज बाद में प्राप्त होता है या मिलता है, तो मैं इसे मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा को वापिस लौटा दूँगा।

मैं, फर्म के निमित्त व्यक्तिगत रूप में इस आवेदन को हस्ताक्षरित करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

स्थान : _____

दिनांक : _____

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज :

1. सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट/बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति की प्रति।
2. नष्ट या गुम होने का सबूत या विकृत/क्षतिग्रस्त होने के लिए शपथ पत्र।
3. डी०डी०आर०/एफ०आई०आर० की प्रति।
4. हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के खजाना चालान की प्रति।
5. शीर्ष लेखा : '0043 बिजली पर कर और शुल्क- अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 -51-800-99-51-अन्य प्राप्तियां '।
6. पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ (सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट की दशा में)।
7. धारक के हस्ताक्षर के तीन नमूने (सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट की दशा में)।

अनुबंध -I

{देखिए नियम 4 (ख) तथा 5 (ख)}

सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट के नवीकरण के लिए सरकारी /सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल द्वारा जारी चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के लिए प्रफॉर्मा

नाम : _____ पिता का नाम : _____

आयु : _____ वर्ष लिंग : पुरुष/महिला लंबाई : _____ वजन : _____

संक्षिप्त नैदानिक इतिहास, यदि कोई हो :

1	परीक्षण		
	(क) सामान्य शारीरिक परीक्षण		(ख) श्रवण
	(ग) प्रणालीगत परीक्षण		(घ) दृष्टि
2	जांच		
	(अ) रक्त विज्ञान		
	(क) एचबी		(ख) टीएलसी
	(ग) डीएलसी		(घ) परिधीय धब्बा
	(आ) जैव रसायन		
	(i) रक्त शुगर		
	(क) एफ		(ख) पी पी
	(ii) लिपिड प्रोफाइल		
	(क) कुल कोलेस्ट्रॉल		(ख) एच डी एल कोलेस्ट्रॉल
	(ग) एलडीएल कोलेस्ट्रॉल		(घ) यू एल डी एल कोलेस्ट्रॉल
	(ड.) ट्राइग्लिसराइड टेस्ट		
	(iii) लिवर फंक्शन टेस्ट		
	(क) कुल बिलीरुबिन		(ख) प्रत्यक्ष बिलीरुबिन
	(ग) अप्रत्यक्ष बिलीरुबिन		(घ) एस जी ओ टी
	(ड.) एसजीपीटी		(च) एएलके फॉस्फेस्ट
	(छ) एस प्रोटीन		(च) एएलके फॉस्फेस्ट
	(छ) ग्लोबिलीन टेस्ट		
	(iv) किडनी फंक्शन टेस्ट		
	(क) यूरिया		(ख) क्रिएटिनिन
	(ग) यूरिक एसिड		(घ) इलेक्ट्रोलाइट्स
	(ड.) ना*		(च) के ना*
	(छ) कैल्शियम		(ज) इनोग्रानीक फास्फोसेट
	(v) कार्डिएक प्रोफाइल		

	(क) सीपीके		(ख) सी के -एम बी	
	(ग) एलडीएच			
	(vi) यूरीन			
	(i) नियमित (क) शुगर		(ख) अल्बुमिन	
	(ii) सूक्ष्म			
	(vii) ईसीजी			
	(viii) एक्स रे चैस्ट			
	(ix) अल्ट्रा साउंड अब्दीन			
	शारीरिक क्षमता परीक्षा			
	कोई भी अन्य जांच			

सलाह

अधिकारी की चिकित्सा रिपोर्ट

1	अधिकारी का हीमोग्लोबिन स्तर	सामान्य / कम है
2	ब्लड शुगर स्तर	संतोषजनक / सामान्य / उच्च / कम है
3	अधिकारी का कोलेस्ट्रॉल स्तर	सामान्य / उच्च / कम है
4	लीवर फंक्शनिंग	संतोषजनक / सामान्य / दुष्क्रिया है
5	गुर्दे की स्थिति	सामान्य / दोनों-एक किडनी बेहतर रूप से कार्य नहीं कर रही है
6	कार्डिएक स्थिति	सामान्य / बढ़े हुए / अवरुद्ध / सामान्य नहीं है
7	बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स)	कम वजन / सामान्य / अधिक वजन / मोटापे से ग्रस्त है
8	धैर्य की परीक्षा	उत्कृष्ट / सामान्य / कम है

चिकित्सा रिपोर्ट का सारांश

1	शारीरिक फिटनेस	उत्कृष्ट / फिट / अनफिट है
2	अधिकारी का समग्र स्वास्थ्य	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / औसत है
3	कोई भी अन्य टिप्पणी अधिकारी के स्वास्थ्य परीक्षण पर आधारित है।	
4	क्या क्षेत्रीय ड्यूटी के लिए फिट है	हाँ / नहीं

दिनांक :

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम :

अनुबंध- II*{देखिए नियम 12 (घ)}*

1. पुस्तकालय: आवदेक का पुस्तकालय/ई-पुस्तकालय निम्न अनुसार होना चाहिए
 - (i) विद्युत अधिनियम, 2003, (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित उपाय) विनियम, 2010.
 - (ii) आपूर्ति संहिता।
 - (iii) हरियाणा सरकार द्वारा जारी प्रथम श्रेणी बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए शर्तें।
 - (iv) राष्ट्रीय भवन संहिता-बिजली।
 - (v) बिजली निरीक्षणालय।
 - (vi) केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड।
 - (vii) सुरक्षा निर्देशिका।
 - (viii) मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा और बिजली निरीक्षणालय द्वारा, समय-समय पर, यथा निर्देशित सभी आवश्यक वी.आई.एस. विशिष्टियाँ।
 - (ix) श्रम अधिनियम तथा विधियाँ।
2. बिजली प्रतिष्ठान के लिए ड्राइंग तैयार करने हेतु सुविधाएँ।

अनुबंध -III

[देखिए नियम 12 (ड.)]

बिजली ठेकेदार के साथ कार्य करने के लिए पर्यवेक्षक/तार मिस्त्री द्वारा घोषणा का प्रफॉर्मा

1. मैं, _____ इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ कि मैं पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में श्री/श्रीमती/मैसर्ज _____ के अधीन कार्य करने का इच्छुक हूँ/कार्य कर रहा हूँ। मेरा पर्यवेक्षक/तार मिस्त्री परमिट संख्या _____ है। यह दिनांक _____ तक वैद्य है।
2. मैं, श्री/श्रीमती/मैसर्ज _____ के अधीन वर्तमान में नियोजित हूँ। मैंने पहले से ही उसे अपनी सेवा छोड़ने के आशय का नोटिस दिनांक _____ को दे दिया है/दूँगा।
3. मैं, मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा के साथ-साथ _____, जिसके अधीन मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ, को मेरे नियोजन में किसी बदलाव की स्थिति की सूचना दूँगा।
4. मैं, इसके द्वारा, प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं बिजली अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के साथ-साथ हरियाणा अनुज्ञप्ति की शर्तों और मुख्य बिजली निरीक्षक हरियाणा द्वारा जारी किए गए सभी परिपत्रों/अनुदेशों की भी पालना करूँगा।
5. मैं, केवल उपरोक्त फर्म/ठेकेदार के साथ कार्य करूँगा। यदि मैं किसी अन्य फर्म/कंपनी/निजी संगठन/ठेकेदार के साथ कार्य करता हुआ पाया जाता हूँ, तो विभाग मेरे विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है।
6. मैं चार्टर्ड बिजली सुरक्षा अभियंता के रूप में भी कार्य नहीं करूँगा।

स्थान :

पर्यवेक्षक/तार मिस्त्री का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक :

अनुबंध –IV

[देखिए नियम 12 (च)]

बिजली उपकरण : निम्नलिखित उपकरण खरीद किए जाने हैं और वे आई०एस०आई० मार्क/समकक्ष गुणवत्ता के होने चाहिए और उपकरणों की जांच के समय पर बीजक सहित जांच प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और उपकरणों की सरकार द्वारा अनुमोदित एन०ए०बी०एल० मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा समयक् रूप से जांच होनी चाहिए। प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद भी उपकरणों की सरकार द्वारा अनुमोदित एन०ए० बी०एल० मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा समयक् रूप से जांच होनी चाहिए।

क. एलटी लेवल –

1. इन्सुलेशन मेगागर 500 वी 0.50 मेगा ओमज।
2. परीक्षण किट के साथ भूमि टेस्टर 0.5 ओमज, जिसका विस्तार पैमाने के साथ हो।
3. दो नग नियॉन टैस्टर।
4. फ्रीकवेंसी मीटर 45 से 55 एच जेड।
5. टोंग टेस्टर 0.1000 एम्पयर (चयनकर्ता स्विच के साथ 10ए से अलग रेंज को मापने के लिए)।
6. मल्टीमीटर (डिजिटल प्रकार) एसी/डीसी।
7. 2 विद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ हाथ के दस्ताने के जोड़े।
8. 2 नग अछूता सरौता।
9. सभी तारों के उपकरण और अन्य उपकरण जो विभाग द्वारा आवश्यक समझे जा सकते हैं।

ख. एचटी/ईएचटी ठेकेदार अनुज्ञप्ति के लिए खरीदे जाने वाले और बनाए जाने वाले अन्य उपकरण।

(i)	इन्सुलेशन मेगर 5000 वी 5000 मैगा मोटरस (मोटोराइज चालित/इलैक्ट्रिकल प्रकार)
(ii)	चरण अनुक्रम टेस्टर।
(iii)	स्पैनर सेट
	(क) डबल एण्ड
	(ख) बॉक्स
	(ग) रिंग
	(घ) एडजस्टेबल टाइप
(iv)	एलन की सेट
(v)	काटने सरौता (अछूता)
(vi)	माइक्रोमीटर/सक्रू गैज
(vii)	नौज की सरौता
(viii)	मापने टेप
(ix)	(क) 15 एम (ख) 50 एम
(x)	स्प्रे बंदूक के साथ पोर्टेबल कंप्रेसर
(xi)	ब्लौअर
(xii)	सभी आकार के स्कू ड्राइवर
(xiii)	पोर्टेबल वेल्डिंग सेट

(xiv)	डाई सेट के साथ उपकरण समेटना
(xv)	(क) हाथ संचालित (ख) हाईड्रोलिक
(xvi)	केबल बिछाने के लिए रोलर्स
(xvii)	पोर्टेबल चक्की
(xviii)	सुरक्षा बैल्ट्स
(xix)	रबर के दस्ताने
(xx)	पोर्टेबल ड्रिल (क) भारी शुल्क (ख) लाइट ड्यूटी
(xxi)	पाइप ग्रेडिंग और जड़ने के लिए उपकरण
(xxii)	छिलने के औजार, छैनी आदि।
(xxiii)	केवल जोड़ने की सुविधा।
(xxiv)	निर्माण और सामग्री से निपटने की सुविधा।

ग. ईएचटी टेकेदार अनुज्ञप्ति के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएँ भी प्रदान की जानी है।

1	चयनकर्ता स्विच के साथ डिजिटल अर्थ क्लैप टेस्टर 0.01 से 50 ओमज।
2	पोर्टेबल पीएफ मीटर 5ए 240 वी एसी
3	भारी मशीनरी के संचालन के लिए सुविधा
4	तेल छानने और परीक्षण की सुविधा
5	रिले परीक्षण किट
6	उच्च वोल्टेज परीक्षण सुविधाएं

टिप्पण.— क्रम संख्या 3 से 6 में वर्णित अतिरिक्त सुविधाएँ, प्रासंगिक करार/सहमति उपलब्ध करवाते हुए किसी भी फर्म/कंपनी से आउटसोर्स की जाएंगी।

अनुबंध -V
{देखिए नियम 12 (ब)}

मैं, _____ एकमात्र स्वत्वधारी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मेसर्स _____

(पूर्ण पता), जिसका पंजीकृत मुख्य कार्यालय में है, इसके द्वारा, सत्यनिष्ठ से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि :-

1. मैं _____ का एकमात्र स्वत्वधारी हूँ।
2. मैं पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म मेसर्स _____ को सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
3. मैं पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म मेसर्स _____ किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं है और पिछले पांच वर्षों के दौरान चोरी के किसी भी आपराधिक कार्य के लिए कोई आरोप-पत्र जारी नहीं किया गया है।
4. मैं आगे वचन देता हूँ कि शपथ में यथा वर्णित उपरोक्त तथ्यों के मामलों में और मेरे आवेदन में उल्लिखित कोई विवरण, किसी भी स्तर पर अन्यथा गलत पाया जाता है, तो मेरी फर्म अनुज्ञप्ति रद्द समझी जाए और किसी नोटिस के बिना, अनुज्ञप्ति की समाप्ति सहित सभी ऐसी कार्रवाई, जो उचित समझी जाए, विभाग द्वारा की जाएंगी।
5. मुझे ज्ञात है कि शपथ-पत्र द्वारा झूठी शपथ लेना, विधि के अधीन अपराध है और ऐसे ज्ञान के साथ मैंने इस शपथ-पत्र के माध्यम से शपथ ली है।

(स्वत्वधारी के हस्ताक्षर तथा मोहर)
अभिसाक्षी

सत्यापित किया जाता है कि वचनबद्धता के पैरा 1 से 5 के तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सत्य और सही हैं और इसका कोई भी भाग गलत नहीं है और इसमें किसी भी सामग्री को छुपाया नहीं गया है या गलत रूप से कथित नहीं किया गया है।

(स्वत्वधारी के हस्ताक्षर तथा मोहर)
अभिसाक्षी

अनुबंध –VI

{देखिए नियम 13 (1)}

शर्त

1. यह अनुज्ञप्ति, उन बिजली ठेकेदारों, जिन्हें हरियाणा राज्य के भीतर अनुज्ञप्ति में प्रतिबंधित निम्न दबाव/मध्यम दबाव/उच्च दबाव/अतिरिक्त उच्च दबाव वाले कार्यों के विद्युत प्रतिष्ठानों के कार्यान्वयन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करती है।
 - (क) जहाँ कोई बिजली ठेकेदार, हरियाणा राज्य में स्थापित एक या एक से अधिक शाखाओं से अपने व्यवसाय का संचालन करता है, तो सक्षम प्राधिकारी को सूचना देते हुए, वह सक्षमता, जिसके लिए उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, के अनुसार प्रत्येक शाखा के लिए एक अतिरिक्त बिजली पर्यवेक्षक को नियोजित कर सकता है और उसके पास एक से अतिरिक्त उपकरणों का सेट होना चाहिए।
 - (ख) जहाँ कोई बिजली ठेकेदार, हरियाणा राज्य में स्थापित एक से अधिक शाखाओं से अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए केवल एक पर्यवेक्षक का नियोजन करता है और उपकरणों का केवल एक सेट रखता है, तो तब तक अन्य शाखा में बिजली स्थापना कार्य नहीं कर सकता, जब तक वह,—
 - (i) ऐसी अन्य शाखा में कार्य करने के लिए एक अतिरिक्त पर्यवेक्षक नियोजित नहीं करता है और उपकरणों का एक अतिरिक्त सेट नहीं रखता है ;
 - (ii) ऐसी अन्य शाखा में कार्य की प्रगति के दौरान, उस शाखा के सभी कार्यों को निलंबित नहीं कर देता है, जिसमें उसका व्यवसाय सामान्य रूप से संचालित होता है।
2. बिजली ठेकेदार, उपकरणों को चालू क्रम में रखेगा।
3. बिजली ठेकेदार, हर समय किसी या सभी उपकरणों की जांच और परीक्षण के लिए बिजली निरीक्षक सरकार, हरियाणा या उनके प्रतिनिधि को सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा।
4. बिजली ठेकेदार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय), विनियम, 2010 के विनियम 29 के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी को उसके द्वारा नियोजित पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षकों के नाम और प्रमाण-पत्र संख्या लिखित रूप में सूचित करेगा। जब ठेकेदार की सेवा में रहा कोई पर्यवेक्षक उसकी सेवा छोड़ता है, तो ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना देगा।
5. सम्पूर्ण परीक्षण रिपोर्ट— बिजली प्रतिष्ठान, जिसको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय), विनियम, 2010 के विनियम 29 लागू होता है, का कार्य सम्पूर्ण होने के बाद, अनुज्ञप्ति धारक बिजली ठेकेदार द्वारा, सम्बद्ध बिजली आपूर्ति उपक्रम को परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी परीक्षण रिपोर्ट पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, जिसकी पर्यवेक्षण में कार्य किया गया है, और अनुज्ञप्ति धारक बिजली ठेकेदार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर की जाएगी।
6. यदि बिजली ठेकेदार को कदाचार, लापरवाही या किसी अनाचार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द कर सकता है।
7. सक्षम प्राधिकारी, यदि ठेकेदार अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करता है, या किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए इस अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकता है।
8. सक्षम प्राधिकारी, यदि ठेकेदार इस अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करता है, या किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए, इस अनुज्ञप्ति को या तो अपनी स्वप्रेरणा से या इस प्रयोजन के लिए गठित स्त्रीनिंग समिति की सिफारिश पर निलंबित या रद्द कर सकता है।
9. यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में, प्रथम दृष्टया कदाचार और/या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के गम्भीर उल्लंघन का मामला के विरुद्ध विद्यमान हैं, तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे ठेकेदार की अनुज्ञप्ति निलंबित कर सकता है।
10. अनुज्ञप्ति, समय-समय पर, नवीकरणीय होगी और यदि इसे देय तिथि पर नवीनीकृत नहीं किया जाता है, तो यह स्वतः रद्द हो जाएगी और नई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सम्पूर्ण प्रारम्भिक फीस/विलम्ब फीस, यदि कोई हो, प्रभार्य होगी। तथापि, फर्म, ठेकेदार प्रतिवर्ष निष्पादित किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करेगी। यद्यपि, अनुज्ञप्ति तीन वर्ष से अधिक समय तक रद्द रहता है, जो आवेदक एक नया आवेदन करेगा।
11. यदि सक्षमता प्रमाण-पत्र धारक या धारकों, जिसे/जिनको प्रमाण पत्र/पत्रों की सक्षमता पर यह अनुज्ञप्ति दी गई है, द्वारा ठेकेदार की सेवा छोड़ी जाती है या समय पर सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट नवीकृत नहीं करवाया जाता है, तो ठेकेदार की अनुज्ञप्ति निलम्बित समझी जाएगी और इसे उस समय तक निलम्बित समझा जाएगा, जब तक ठेकेदार सक्षमता प्रमाण-पत्र धारक व्यक्ति को दौबारा नियोजित नहीं करता है या उसका नवीकरण नहीं करवाता है। तथापि, ठेकेदार, अन्तराल अवधि के दौरान, अपना कार्य करने के लिए पात्र नहीं होगा।

12. यदि इस अनुज्ञप्ति, ठेकेदार द्वारा धारित सक्षमता प्रमाण-पत्र के आधार पर उसके नाम से प्रदान की गई है, तो ठेकेदार द्वारा किसी अन्य बिजली ठेकेदार के तहत रोजगार स्वीकार करने की स्थिति में अनुज्ञप्ति स्वतः ही रद्द हो जाएगा।
13. पर्यवेक्षक को अंश कालिक नियोजित नहीं किया जाएगा और न ही वह एक ही समय पर एक से अधिक ठेकेदारों के पास नियोजित होगा।
14. कार्य प्रारम्भ करने की सूचना-लैप, पंखे, फ्यूज, स्विज और इन्स्टालेशन के अन्य घटक भागों को छोड़कर, विद्यमान प्रतिष्ठानों, में इनकी क्षमता या स्वरूप में परिवर्तन के बिना, परिवर्धन, परिवर्तन, मरम्मत और समायोजन सहित बिजली प्रतिष्ठान के कार्य की सूचना 48 घण्टे के भीतर सक्षम प्राधिकारी के साथ-साथ और स्थानीय आपूर्ति कार्यालय को देगा।
15. ठेकेदार का अमला :-
- (क) बिजली ठेकेदार के सभी तार मिस्त्री प्रमाणिक और पूर्णकालिक होंगे, जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रथम श्रेणी तार मिस्त्री परमिट हो, बशर्ते ठेकेदार, प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर सकता है, ऐसे मामले में किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित कुल प्रशिक्षुओं की कुल संख्या किसी भी समय पर, कुलियों को छोड़कर, प्रशिक्षुओं को शामिल करते हुए उसके कुल वायरिंग अमले के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा आगे, ठेकेदार इन प्रशिक्षुओं को परिसर में सक्षमता प्रमाण-पत्र धारित किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, तथा एक प्रमाणिक तार मिस्त्री के निर्देशाधीन के अतिरिक्त केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय), विनियम, 2010 के विनियम 29 के अधीन आने वाले विद्यमान प्रतिष्ठान की मरम्मत और समायोजन के रूप में विद्यमान प्रतिष्ठानों में परिवर्धन, परिवर्तन, मरम्मत और समायोजन सहित किसी बिजली कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। बशर्ते ठेकेदार प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर सकता है,
- (ख) प्रत्येक बिजली ठेकेदार रजिस्टर, प्ररूप ड. में, पर्यवेक्षकों, तार मिस्त्री और उनके द्वारा नियोजित किए गए प्रशिक्षुओं का रजिस्टर बनाए रखेगा और दैनिक उपस्थिति को बनाए रखेगा, जिसकी सक्षम प्राधिकारी से भी जांच करवाई जाएगी। कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली मासिक मजदूरी का रिकार्ड भी रखा जाएगा। बिजली निरीक्षक या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिए रजिस्टर खुला रहेगा। किसी भी व्यक्ति, जिसका नाम ऐसे रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है, ठेकेदार के वायरिंग अमले का प्रमाणिक कर्मचारी नहीं होगा।
- (ग) प्रत्येक ठेकेदार इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि वह श्रम विधियों के प्रासंगिक प्रावधानों की अनुपालना करेगा।

प्ररूप-ड.

मास _____ वर्ष के लिए मैसर्ज _____
द्वारा नियोजित पर्यवेक्षक, तार मिस्त्री वायरमैन और प्रशिक्षुओं का रजिस्टर :-

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	1, 2, 3, 4 और आगे तिथियाँ इस प्रकार	कुल दिन	कुल मजदूरी	हस्ताक्षर

16. कार्य संहिता की अनुपालना करते हुए प्रतिष्ठान कार्य :- किसी भवन में प्रतिष्ठान और फिटिंग का कार्य, भारतीय मानक संस्था द्वारा वर्ष 1958 में जारी भारतीय मानक विनिर्दिष्ट संख्या 732-1958 के अनुसार भवन में बिजली कार्य तथा फिटिंग के लिए "कार्य संहिता" की अनुपालना की जाएगी।

अनुसूची

[देखिए नियम 6(1), 8 (1), 10, 11,15 (1), 18 तथा 20]

फीस के स्केल

1. फीस— नीचे विहित स्केल के अनुसार सक्षमता प्रमाण पत्र, परमिट और बिजली ठेकेदार को अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए फीस प्रभारित की जाएगी :-

क. सक्षमता प्रमाण पत्र —

1	सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करना	200 /—रुपए
2	पर्यवेक्षण सक्षमता प्रमाण-पत्र की वार्षिक नवीकरण फीस	200 /—रुपए
3	पर्यवेक्षण सक्षमता प्रमाण-पत्र का तीन वर्ष के लिए नवीकरण फीस	550 /—रुपए
4	पर्यवेक्षण सक्षमता प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि	200 /—रुपए
5	अनुग्रह अवधि के बाद नवीकरण के लिए विलम्ब फीस	100 /—रुपए
6	अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए पर्यवेक्षक प्रमाण-पत्र की अन्तर्राज्य मान्यता	550 /—रुपए

ख. तार मिस्त्री परमिट —

1	तार मिस्त्री परमिट जारी करना	100 /—रुपए
2	तार मिस्त्री परमिट की वार्षिक नवीकरण फीस	100 /—रुपए
3	तार मिस्त्री परमिट की तीन वर्ष के लिए नवीकरण फीस	250 /—रुपए
4	अनुग्रह अवधि के बाद नवीकरण के लिए विलम्ब फीस	50 /—रुपए
5	तार मिस्त्री परमिट की प्रतिलिपि	100 /—रुपए

ग. बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति —

1	प्रारंभिक फीस	3350 /—रुपए
2	वार्षिक नवीकरण फीस	1050 /—रुपए
3	एचटी/ईएचटी के लिए विशेष अनुज्ञप्ति जारी करना	2100 /—रुपए
4	अनुग्रह अवधि के बाद बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु विलम्ब फीस	300 /—रुपए
5	बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि के लिए फीस	150 /—रुपए

- टिप्पण :-**
- (1) ये दरें इनके लागू होने के तिथि के प्रत्येक तीन वर्ष बाद 20 प्रतिशत बढ़ाई जायेंगी। उपरोक्त दरें सरकार की अधिसूचना संख्या 26/4/1999-2 विद्युत, दिनांक 15.11.2016 द्वारा अधिसूचित की गई थी।
 - (2) दरें अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू की जायेंगी।
 - (3) फीस का भुगतान, '0043 बिजली पर कर और शुल्क— अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043-51-800-99-51-अन्य प्राप्तियां' में जमा करवाने के लिए खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा की वेब साइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा और प्रयोजन के लिए जमा करवाई गई फीस का खजाना चालान आवेदन के साथ मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा को प्रस्तुत किया जाएगा।

त्रिलोक चन्द गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT**POWER DEPARTMENT****Notification**

The 9th February, 2021

No. S.O. 5 /C.A. 36/2003/S. 180/2021.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and clause (o) of Sub-section (2) of Section 180 of the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003) and in supersession of Punjab Government, Irrigation and Power Department, notification No. S.O. 133-4EL-62/22977, dated the 17th September, 1962 in its application to the State of Haryana and all other notifications issued in this regard, the Governor of Haryana hereby makes the following rules for regulating the terms and conditions for the grant of electrical contractor licence, certificate of competency and wireman permit to carry out the purpose of regulation 29 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, namely :-

1. (1) These rules may be called the Haryana Electrical Contractor Licence, Certificate of Competency and Wireman Permit Rules, 2021. Short title, commencement and applicability.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall be applicable to the whole of the State of Haryana.
2. (1) In these rules unless the context otherwise requires,- Definitions.
 - (a) “**Act**” means the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003);
 - (b) “**Annexure**” means Annexure appended to these rules;
 - (c) “**Appellate Authority**” means, Additional Chief Secretary or Principal Secretary to Government, Haryana, Power Department;
 - (d) “**certificate**” means certificate of competency granted for supervision of erection and installation of all type of electrical installation work of various voltage level;
 - (e) “**Competent Authority**” means the Chief Electrical Inspector , Haryana;
 - (f) “**Form**” means form appended to these rules;
 - (g) “**Government**” means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;
 - (h) “**institution**” means; -
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rule;
 - (i) “**licence**” means ‘A’ Class Electrical Contractor Licence granted to carry out erection and installation of all type of electrical installation work of various voltage level;
 - (j) “**permit**” means wireman permit granted for doing the actual wiring work for licensed Electrical Contractor;
 - (k) “**recognised university**” means,-
 - (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university, for the purpose of these rules;
 - (l) “**regulations**” means the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010;
 - (m) “**Schedule**” means Schedule appended to these rules;
- (2) Words and expressions used herein but not defined in these rules shall have the same meanings respectively assigned to them in the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003), and the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010.

- Constitution of screening committee.
3. The Competent Authority shall constitute the screening committee consisting of the following members to ascertain the qualification, experience and knowledge in respect of concerned field,-
- (i) Executive Engineer; and
 - (ii) Superintendent.
- Eligibility and academic qualifications for certificate.
4. No person shall be eligible to obtain the certificate unless he possesses the following academic qualification and eligibility, namely:-
- (a) degree in Electrical Engineering or Electrical and Electronics Engineering from an institution or Board or university approved by All India Council for Technical Education or University Grants Commission having at least one year experience after passing degree, in the field of erection, operation, maintenance of electrical installation under 'A' Class Licensed Electrical Contractor or in the Central Government or the State Government or the Semi Government Department or Organisation;
- or
- diploma in Electrical Engineering or Electrical and Electronics Engineering from an institution or Board or university approved by All India Council for Technical Education or University Grants Commission having at least five years experience after passing diploma in the field of erection, operation, maintenance of electrical installation under 'A' Class Licensed Electrical Contractor or in the Central Government or the State Government or the Semi Government Department or Organisation;
- (b) he shall not be less than eighteen years or more than sixty-five years of age on the date of submission of application to the Competent Authority:
Provided that he shall produce the medical fitness certificate in Annexure I issued by the Government or Government approved hospital on attaining the age of fifty-five years; and
 - (c) he shall be a citizen of India.
- Eligibility and academic qualifications for permit.
5. No person shall be eligible to obtain the permit unless he possesses the following academic qualification and eligibility, namely:-
- (a) diploma in Electrical Engineering or Electrical and Electronics Engineering from an institution or Board and have practical training under 'A' Class Licensed Electrical Contractor or in the Central Government or State Government or Semi Government Department/Organisation for one year in the electrical wiring and other installation work;
- or
- certificate or diploma** in the trade of Wireman, Lineman and Electrician from recognised industrial Training institute and have National Apprenticeship Certificate under Apprenticeship Act, 1961 (Central Act 52 of 1961) and have practical training under 'A' Class Licensed Electrical Contractor or in the Central Government or the State Government or the Semi Government Department or Organisation for three years (including period spent in Apprenticeship) in the electrical wiring and other installation work;
- (b) he shall not be less than eighteen years or more than sixty-five years of age on the date of submission of application to the Competent Authority:
Provided that he shall produce the medical fitness certificate in Annexure I issued by the Government or Government approved hospital on attaining the age of fifty-five years; and
 - (c) he shall be a citizen of India.
- Application for certificate or permit.
6. (1) An applicant shall make an application online to the Competent Authority to obtain the certificate or permit in Form I along with self certified photocopies of required documents and such fees as specified in the Schedule.

(2) On receipt of an application made under sub-rule (1), the Competent Authority shall send the same to the screening committee to certify the genuineness of the application. The screening committee shall certify the genuineness of the application and thereafter issue a notice to the applicant to produce the original documents in person, at such place and on such date as specified in the notice. After certifying the original documents, the screening committee shall submit the application to the Competent Authority along with its recommendation.

(3) After receiving the recommendation of the screening committee and subject to fulfillment of all relevant conditions, the Competent Authority shall issue the certificate or permit, as the case may be, in Form II or III to the applicant. The applicant shall download the same from the official website:

Provided that the Competent Authority shall have the powers to reject the application, if any discrepancy is noticed in the application and/ or the supporting documents at any point of time during application process and communicate the same to applicant accordingly within seven days.

7. Every certificate or permit granted under these rules shall be issued initially for a period of one year and remain valid for a period not exceeding five years :

Validity of the certificate and permit.

Provided that holder of the certificate or permit shall not be allowed to do any electrical work during its cancel period.

8. (1) Any person, who has been granted a certificate or permit under these rules, may apply online to the Competent Authority for renewal of the certificate or permit in Form IV along with required documents and such fees as specified in the Schedule, within a period of one month before the expiry of the validity of the certificate or permit:

Renewal of certificate and permit.

Provided that after the expiry of the said period for renewal, the Competent Authority shall entertain the application for renewal of such certificate or permit along with such late fees as specified in the Schedule:

Provided further that no certificate or permit shall be renewed after expiry the period of five years.

(2) On receipt of an application made under sub-rule (1), the Competent Authority shall send the same to the screening committee to certify the genuineness of the application. The screening committee shall certify the genuineness of the application and shall submit the application to the Competent Authority along with its recommendation.

(3) After receiving the recommendation of the screening committee and subject to fulfillment of all relevant conditions, the Competent Authority shall issue the renewal of certificate or permit, as the case may be, in Form V or VI to the applicant. The applicant shall download the same from the official website:

Provided that the Competent Authority shall have the powers to reject the application, if any discrepancy is noticed in the application and/ or the supporting documents at any point of time, during application process and communicate the same to the applicant accordingly within seven days.

9. The Competent Authority shall have the powers to order the suspension for such period, as it may think fit, or withdrawal of any certificate or permit issued to any person, if in its opinion, the holder thereof does not perform his duties and comply with the provisions of the Act and Rules and regulations made thereunder or has been guilty of any other mal-practice:

Suspension or withdrawal of certificate and permit.

Provided that Competent Authority shall not pass any order of suspension or withdrawal of the certificate or permit without giving an opportunity being heard to the applicant.

10. The Competent Authority shall have powers to upgrade the competency of any certificate issued to any person by ascertaining his qualifications and experience. However, no further up-gradation shall be made till one year or unless sufficient experience acquired in the relevant field of operation and maintenance. He shall submit relevant documents as mentioned in Form VII and such fee as specified in the Schedule. However, authorisation above 33 KV level shall only be granted to the holder of certificate, who possesses degree in Electrical Engineering or Electrical and Electronics Engineering from a university or institution. A certificate already granted on the basis of examination, shall be upgraded in view of experience required i.e. on completion of five years to diploma holder, on completion of ten years to ITI certificate holder and on completion of fifteen years to others.

Up-gradation of level of certificate.

Transfer of certificate or permit.

11. Any person holding a certificate or permit granted by any other State shall be allowed to work as Electrical Supervisor or Wireman in the State of Haryana as mandatory staff with 'A' Class Licensed Electrical Contractor on getting his certificate or Permit endorsed (subject to fulfill the qualifications and experience criteria as mentioned in rule 4 and 5), on payment of requisite fees as specified in the Schedule.

Eligibility, Qualified Staff and criteria for licence.

12. No person shall be eligible to obtain a license unless he fulfills the following conditions and criteria, namely :-

- (a) he shall be a citizen of India;
- (b) he shall not be less than eighteen years or more than sixty-five years of age, on the date of submission of application to the Competent Authority;
- (c) he should have a registered office in the State of Haryana, for which GST registration for State of Haryana shall be produced;
- (d) he should have adequate drawing facility for preparation of drawings (in case of above 650 volt) and library facilities as per **Annexure II**;
- (e) he shall employ solely for the purpose of contract works the minimum following qualified staff on full time basis and their consent and declaration in the form **Annexure-III** should be attached and shall be present in person along with his mandatory staff;
 - (i) **LT**—one Electrical Supervisor holding a certificate issued by the Competent Authority and one wireman/supervisor shall be employed;
 - (ii) **HT**—one Electrical Supervisor holding a certificate issued by the Competent Authority for respective voltage level for which contractor licence is applied for and two wiremen or supervisors shall be employed;
 - (iii) **EHT**—two Electrical Supervisors, holding a certificate issued by the Competent Authority out of which one should be for respective voltage level for which contractor licence is applied for and three supervisors or wiremen shall be employed:

Provided that holder of certificate or permit or wireman, working as mandatory staff with licensed 'A' Class Electrical Contractor shall have to give one month notice to the firm or company or contractor before leaving the job or 'No objection Certificate' in this regard, shall have to produce in the office of the issuing authority.

Note.— Production units or manufacturing concerns shall segregate the staff employed for the purpose of contractor licence from the staff engaged for routine operations of the factories. The staff employed under the procedure of licensing and under regulation 3 and 5 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 shall not on any account be mixed up. Failure to keep separate staff for the purpose of the procedure of licensing and the above said regulations shall be deemed to constitute violation of the rules and shall be rendered the licence liable for cancellation.

- (f) electrical instruments for various level of voltage as per **Annexure-IV** are to be procured and they shall be ISI marked or equivalent quality and test certificates along with invoice to be furnished at the time of testing of the instruments and the instruments shall be duly tested by Government approved National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited lab. The electrical equipments shall also be duly tested by Government approved National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited laboratory on each renewal of license. Moreover, the applicant shall present his electrical equipments for physical check in the office of the issuing authority.

- (g) he shall submit the application along with Income Tax Return and Turn Over/Balance Sheet for the last three years. The eligibility for issue of license for various categories shall be as under :-
- (i) Upto MV (650 Volts) minimum Rs. 20 lac turnover in one year during last three years;
 - (ii) Upto HV minimum rupees 50 lac turnover in one year during last three years;
 - (iii) Upto EHV minimum rupees One core turnover in one year during last three years.
- (h) he shall have to produce the following other documents except as mentioned above:-
- (i) Undertaking in respect of the Firm/Company on the prescribed format as per **Annexure-V**.
 - (ii) Residence Proof *i.e.* Aadhaar Card/Voter Card.
 - (iii) Pan Number.
 - (iv) Authorisation as Authorised Signatory in case of Partnership Firm/Company.
 - (v) Memorandum/Deed along with resolution in case of Company/ Partnership Firm.

13. (1) An applicant shall make an application online to the Competent Authority to obtain licence to carry out erection and installation of all type of electrical installation work of low tension, medium pressure up to 650 volts on the conditions as specified in **Annexure VI** and Form VIII along with self certified photocopies of required document and such fees as specified in the Schedule:

Application for licence

Provided that the holder of the said licence shall also submit an undertaking that he shall comply with provision of Labour Laws.

(2) On receipt of an application made under sub-rule (1), the Competent Authority shall send the same to the screening committee to certify the genuineness of the application. The screening committee shall certify the genuineness of the application and thereafter issue a notice to the applicant to produce the original document in person, at such place and on such date, as specified in the notice. After certifying the original documents, the screening committee shall submit the application to the Competent Authority along with its recommendation.

(3) After receiving the recommendation of the screening committee and subject to fulfillment of all relevant conditions, the Competent Authority shall issue a license in Form IX to the applicant. The applicant shall download the same from the official website:

Provided that the Competent Authority shall have the powers to reject the application, if any discrepancy is noticed in the application and/ or the supporting documents at any point of time during application process and communicate the same to applicant accordingly within seven days.

14. Every licence granted under these rules shall be issued initially for a period of one year and remain valid for a period not exceeding five years:

Validity for licence.

Provided that licensed Electrical Contractor shall not be allowed to carry out erection and installation of all type of electrical installation work during its cancel period or in the event of cancellation of mandatory staff and licence shall be liable cancellation for such period till renewal thereof.

15. (1) Any person, who has been granted licence under these rules, may apply online to the Competent Authority for renewal of license in Form X along with required documents and such fees as specified in the Schedule, within a period of one month before the expiry of the validity of the licence:

Renewal of licence

Provided that after expiry of the said period for renewal, the Competent Authority shall entertain the application for renewal of such licence along with such late fees as specified in the Schedule:

Provided further that no licence shall be renewed after the expiry of period of five years.

(2) On receipt of an application made under sub-rule (1), the Competent Authority shall send the same to the screening committee to certify the genuineness of the application. The screening committee shall certify the genuineness of the application and shall submit the application to the Competent Authority along with its recommendation.

(3) After receiving the recommendation of the screening committee and subject to fulfillment of all relevant conditions, the Competent Authority shall issue the renewal of licence in Form XI to the applicant. The applicant shall download the same from the official website:

Provided that the Competent Authority shall have the powers to reject the application, if any discrepancy is noticed in the application and/ or the supporting documents at any point of time during application process and communicate the same to the applicant accordingly within seven days.

Suspension or withdrawal of licence

16. The Competent Authority shall have the powers to order the suspension for such period, as it may think fit, or withdrawal of any licence to any person, if in its opinion, the holder thereof does not perform his duties and comply with the provisions of the Act and Rules and Regulations made thereunder or has been guilty of any other mal-practice:

Provided that Competent Authority shall not pass any order of suspension or withdrawal of licence without giving an opportunity being heard to the applicant.

Up-gradation of voltage level

17. The Competent Authority shall have power to upgrade any 'A' Class Electrical Contractor Licence for carrying out works on higher voltage level by ascertaining qualifications and experience as specified in these rules of the applicant as well as his supervisor/wireman in the relevant field. However, no further up-gradation shall be made till one year or unless sufficient experience acquired in the relevant period. The applicant make an application online to the Competent Authority in Form XII along with required documents and such fees as specified in the Schedule subject to fulfil the terms and conditions as specified in rule 12.

Transfer of licence.

18. (1) Any person holding a licence granted by any other State Government shall be allowed to be transferred the same in the State of Haryana subject to conditions that such person shall fulfill all requirement for grant of licence for executing the works awarded by the Government. The applicant shall apply online to the Competent Authority along with requisite documents and such fees as specified in the Schedule.

(2) Any person can be allowed temporarily for a maximum period of six months to carry out/complete the work allotted in the State of Haryana subject to condition that such person should have valid electrical contractor license, issued by any State:

Provided that such person shall make an application online to the Competent Authority in Form VIII alongwith self certified photocopies of electrical contractor license as well as mandatory staff and deposited treasury challan of requisite fees as specified in the Schedule.

Appeal.

19. Any person aggrieved by the order passed by the Competent Authority may file an appeal before the appellate authority, within sixty days from the date of order of the Competent Authority along with requisite documents.

Change in the licence.

20. Any holder of the license, who desires to change the name or address of the business premises or shop or in constitution of the firm or company, shall submit a fresh application online to the Competent Authority along with relevant documents and such fees as specified in the Schedule.

Turnkey Contractor Licence.

21. The Competent Authority may grant higher voltage level Electrical Contractor Licence directly to a firm or company having Turnkey Work awarded by the Government:

Provided that such firm or company has possessed the same level Electrical Contractor Licence of any other State:

Provided further that licence may be granted to a firm or company out of term, provided that such firm or company has valid turnkey work awarded by the Government and pending to be executed. However, it shall fulfill all requisite terms and conditions for grant of licence as specified in the Act, Rules and regulations made thereunder.

- 22.** (1) If any certificate or permit or licence, as the case may be, is destroyed or lost or defaced or mutilated or damaged, the applicant shall make an application online to the Competent Authority in Form XIII along with required documents and such fees as specified in the Schedule. Grant of duplicate certificate, permit or licence.
- (2) On receipt of the application made under sub-rule (1), the Competent Authority, after certifying the genuineness of the document and identity of the applicant, shall issue the duplicate certificate or permit or licence, as the case may be, as soon as possible for the remaining period. The applicant shall download the same from the official web site.
- 23.** There shall be a thirty-day timeline after receiving the complete documents to clear the services in all respects under these rules. Time limit for services.
- 24.** (1) Any order made or action taken under the Punjab Government, Irrigation and Power Department, notification No. S.O. 133-4EL-62/22977, dated the 17th September, 1962 in its application to the State of Haryana, and all other notifications issued in this regard so superseded shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules. Saving.
- (2) Any certificate or permit or licence issued by the Competent Authority prior to publication of these rules shall remain valid till the expiry of such period. Further, the applicant shall be eligible for renewal of his certificate or permit or licence, as the case may be, under these rules.

Form -1*{see rule 6 (1)}***APPLICATION FOR GRANT OF CERTIFICATE OF COMPETENCY/WIREMAN PERMIT**

1. Name of Applicant: _____
2. Father's Name: _____
3. Sex: _____
4. Nationality: _____ Aadhaar No. _____
5. Date of birth: _____ Age: _____ years _____ months _____ days
6. Permanent Address: _____

7. Address for communication: _____

8. Mobile No. _____ E-mail Id: _____
9. Educational/Technical Qualification:

Serial Number	Name of Exam.	Name of Board/University	Year passing of	Marks obtained/Max. Marks	% age

10. Whether you are holder of Certificate of Competency/Wireman Permit issued by any State Licensing Board/Chief Electrical Inspector. If so, give details:

Serial Number	Category	Permit number	Issuing Authority	Date of issue with validity

11. Are you employed on permanent basis ? If so, give detail:

Serial Number	Name of employer	Description of the post held by the applicant	From	To

12. Detail of experience: _____

Serial Number	Name of employer	Description of the post held by the applicant	From	To

13. Details of Fees:

Amount	Challan/GRN Number	Date	Name of Treasury

I hereby declare that the particulars stated above are correct to the best of my knowledge. I am not a holder of Supervisor Competency Certificate issued by the State Licensing Board/Chief Electrical Inspector other than those indicated in the **Column 10**. I also agree to the cancellation of my Certificate of Competency to be issued in pursuance of this application, in case the particulars furnished in the application are found incorrect or false at any stage.

Place: _____

Dated: _____

Signature of Applicant

Photocopies of documents to be forwarded alongwith the application:-

1. Matriculation certificate indicating date of birth.
2. Residence Proof.
3. Identity Proof.
4. Photographs 2 Nos.
5. Degree/Diploma in Electrical Engineering./Electrical and Electronics Engineering. or its equivalent.
6. Experience Certificate.
7. Number of three Specimen signatures of the applicant.
8. Medical fitness certificate from Government/Government approved Hospital, in case he is above 55 years of age on the date of submission of application.
9. Copy of retirement orders in case of retired engineers.
10. Treasury challan of fees for the purpose, deposited in any treasury of Haryana under **Head of account: - '0043-Taxes and Duties on Electricity –Other Receipts i.e. 0043-51-800-99-51—Other Receipts'**.

Form II*{see rule 6 (3)}*

No. EC- _____/20__

Date of Birth: _____

PERFORMA FOR GRANT OF CERTIFICATE OF COMPETENCY

_____ son/daughter of Sh. _____
 R/o _____ having satisfied the Chief Electrical Inspector, Haryana that
 his/her qualifications and experience as certified by the Screening Committee, found eligible for grant of
 Certificate of Competency, is hereby granted this Certificate of Competency.

Dated.....

Chief Electrical Inspector
 to Government, Haryana, Chandigarh.

INSTRUCTIONS

1. This Certificate is to be renewed once in five years before its expiry date, failing which it will automatically stand inoperative.
2. Treasury challan of fees for the purpose, deposited in any treasury of Haryana under **Head of account: - '0043-Taxes and Duties on Electricity –Other Receipts i.e. 0043-51-800-99-51—Other Receipts'** alongwith relevant **Form** be sent to the Chief Electrical Inspector to Government, Haryana.
3. A Medical Fitness Certificate issued by Government / Government approved Hospital, in case he is above 55 years of age on the date of submission of application.

Form III*{see rule 6 (3)}*

No. EW- _____/20__

Date of Birth: _____

FORMATE FOR WIREMAN PERMIT

R/o _____ son of/daughter of Sh. _____
having satisfied the Chief Electrical Inspector, Haryana that his/her
qualifications and experience as certified by the Screening Committee, found eligible for grant of Wireman Permit, is
hereby granted this Wireman Permit.

Dated.....

Chief Electrical Inspector
to Government, Haryana, Chandigarh.**INSTRUCTIONS**

1. This Permit is to be renewed every five years before its expiry date, failing which it will automatically stand inoperative.
2. Treasury challan of fees for the purpose, deposited in any treasury of Haryana under **Head of account: - '0043-Taxes and Duties on Electricity –Other Receipts i.e. 0043-51-800-99-51—Other Receipts'** alongwith relevant **Form** be sent to the Chief Electrical Inspector to Government, Haryana.
3. A Medical Fitness Certificate issued by Government / Government approved Hospital, in case he is above 55 years of age on the date of submission of application.

FORM –IV*{see rule 8 (1)}***APPLICATION FOR RENEWAL OF CERTIFICATE OF COMPETENCY/ WIREMAN PERMIT**

I hereby apply for the renewal of my certificate of competency /wireman permit, which is attached (vide details given below)

1	(a)	Name of the applicant (as given in the certificate of competency /wireman permit)	
	(b)	Age and date of birth	
	(c)	Date, on which the applicant completes 55 years. (attach medical fitness certificate in case age is above 55 years).	
2		Present address with pin code	
3		Supervisor competency certificate No./ Wireman Permit No.	
4		Date of expiry	
5		Whether the application for renewal is belated. If so, the period (in months and year) by which the renewal is late.	
6		Details of fees remitted	
		Name of Treasury	
		GRN Number and date of challan	
		Amount remitted	
7		Name and address of the employer, if any. If the employer is a contractor, his License Number should be mentioned	
8		Whether there is any change of employer during the subsequent period to the last renewal	

DECLARATION

1. Information furnished in the application is correct.
2. I am authorized to sign the application as contractor /on behalf of the contractor.

Place:

Date:

Signature of the Applicant

Following documents to be produced:

1. Certificate of Competency/Wireman Permit.
2. Deposited Treasury Challan of fees, for the purpose in the Head of A/c: 0043-51-800-99-51—Other Receipt.
3. A Medical Fitness Certificate issued from Government/Government Approved Hospital, in case he is above 55 years of age on the date of submission of application.
4. Undertaking for delay or non-working during cancel period, in case of expiry of the Certificate/Permit.
5. Present working Status.

Form V*{see rule 8 (3)}*

No. EC- _____/20_____

Date of Birth: _____

PERFORMA FOR RENEWAL OF CERTIFICATE OF COMPETENCY

_____ son of/daughter of Sh. _____ R/o
 _____ having satisfied the Chief Electrical Inspector, Haryana that his/her
 qualifications and experience as certified by the Screening Committee, found eligible for grant of Certificate of
 Competency, is hereby granted this Certificate of Competency.

Dated.....

Chief Electrical Inspector
 to Government, Haryana, Chandigarh.

INSTRUCTIONS

1. This Certificate is to be renewed once in five years before its expiry date, failing which it will automatically stand inoperative.
2. Treasury Challan of fees for the purpose, deposited in any treasury of Haryana under **Head of account: - '0043-Taxes and Duties on Electricity –Other Receipts i.e. 0043-51-800-99-51—Other Receipts'** alongwith relevant **Form** be sent to the Chief Electrical Inspector to Government, Haryana, alongwith this certificate.
3. A Medical Fitness Certificate issued by Government / Government approved Hospital, in case he is above 55 years of age on the date of submission of application.

Form VI*{see rule 8 (3)}*

No. EW- _____/20 _____

Date of Birth: _____

PERFORMA FOR RENEWAL OF WIREMAN PERMIT

R/o _____ son of/daughter of Sh. _____
 _____ having satisfied the Chief Electrical Inspector, Haryana that his/her
 qualifications and knowledge as certified by the Screening Committee, found eligible entitled for grant of
 Wireman Permit, is hereby granted this Wireman Permit.

Dated.....

Chief Electrical Inspector
 to Government, Haryana, Chandigarh.

INSTRUCTIONS

1. This Permit is to be renewed every five years before its expiry date, failing which it will automatically stand inoperative.
2. Treasury Challan of fees for the purpose, deposited in any treasury of Haryana under **Head of account: - '0043-Taxes and Duties on Electricity –Other Receipts i.e. 0043-51-800-99-51—Other Receipts'** alongwith relevant **Form** be sent to the Chief Electrical Inspector to Government, Haryana, alongwith this certificate.
3. A Medical Fitness Certificate issued by Government Hospital/ Government approved Hospital be produced on or after attaining the age of 55 years on the prescribed format.

FORM-VII*(see rule 10)***APPLICATION FOR UPGRADATION OF CERTIFICATE OF COMPETENCY**

1	Name			
2	Address with Pin Code			
3	Qualification			
	Academic			
	Professional			
4	Details of the Supervisor competency certificate now possessed by the applicant			
	Certificate No.			
	Date of issue			
	Present scope			
5	Experience			
	Name of employer	Description of the post held by the applicant	From	To

Total Period of experience	Years		Months	
----------------------------	-------	--	--------	--

6	Whether applied for up gradation earlier ? If so, mention date on which called for interview ?	
7	Scope voltage level applied for ?	

Place

Dated

Signature of applicant

Following documents to be produced:

1. Copy of the Certificate of Competency.
2. Copy of certificate of experience, if any.

FORM VIII*{see rule 13 (1)}***APPLICATION FOR GRANT OF 'A' CLASS ELECTRICAL CONTRACTOR LICENCE**

1	Name in which Electrical Contractor License is applied for	
2	Business Address- Pin Code- E-mail- Phone No.	
3	Style of the Company: Proprietary concern/company /firm registered under the Companies Act. If company/firm, attach documents to prove the status of the firm/company	
4	Whether the company has a registered office in Haryana/ UT Chandigarh/NCT Delhi	
5	Full name and address of Proprietor or partners/ Directors 1 2 3 4	
6	Full name of Agent or Manager (in the case of Limited Company)	
7	Whether the applicant is a manufacturing firm or production unit.	
8	Name of the authorized person signing documents	
9	Whether a contractor license has been previously granted in the same name ? If yes, give details thereof.	
10	Whether a contractor License has been granted under this name from any other State ? If so, please give name of issuing Authority- Date of issue- Date of expiry of License- Details of works permitted to be undertaken-	
11	Whether adequate drawing office facilities for preparation of drawings, blue prints etc. is available (in case of above 650 Volt).	

12	Whether the staff indicated under column 13 are exclusively earmark for the work under the conditions for licensing and Regulation 29 of “Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations 2010”.			
13	Name of all persons employed full time basis having technical qualifications and experience.			
Sr. No.	Name of person	Qualification	Certificate and permit with their No. and validity date.	Whether declaration in the form appended have been attached

14. Whether e-library/library as per **Annexure-II** is available. If yes, attached proof.
15. Major works carried out in Haryana
(List be attached with details of installation, scheme approval obtained from Electrical Inspectorate, etc).
16. Details of punishment and penalty imposed on the company/firm.
- (i) By State Licensing Board, Haryana/Chief Electrical Inspector, Haryana.
- (ii) By Government & Other agencies.
- (iii) Any Court of Law.

DECLARATION

- I/we have read and understood the conditions and documents required to be attached with application for grant of Electrical Contractor License Class ‘A’ and relevant documents are attached in chronological order.
- I/we hereby declare that the staff specified in column 13 is intended exclusively for attending to the work under the conditions of licensing and under “Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations 2010”. The service of the staff will not be utilized for routine operations in the establishment nor will they be mixed up with the staff employed under regulation 3 and 5 of the said Regulations, 2010. I hereby declare that I/we have in my/ our possession a copy of the Electricity Act, 2003, regulations as well as relevant codes of Practice and Standards of Indian Standards Institution relating to Electrical Installations. I/We fully understand the terms and conditions under which an electrical contractor license is granted, a breach of which will render the license liable to cancellation.
- I/We hereby declare that I/We shall comply with relevant provisions of the Labour Laws.
- I/We hereby also agree to maintain such registers and records as may be prescribed by the Board/CEI in the forms specified for the purpose.
- I/we do solemnly affirm and declare that the facts submitted in the application are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed by me/us.
- I am authorized to sign this application as individual on behalf of the firm.
- I/we are fully aware that this self declaration has the same validity as duly sworn statement of fact in a court of law and any false information provided by me in this application shall be liable for punishment under the relevant sections of the India Penal Code, 1860.

Signatures of the applicant/
Authorised Signatory of the firm/Co.

Place:

Dated:

Following documents to be produced:

1. Certificate of Competency and Wireman Permit, who are working with the Firm/Company alongwith their written consent or in person, if think so, necessary.
2. Income Tax Returns and Balance Sheet as specified in the conditions.
3. PAN No./Adhaar No./Age Certificate.
4. Calibration Certificate from NABL or Government Testing Laboratory in respect of Electrical equipments and bill thereof.
5. Copy of Annexure III & V.
6. Copy of treasury challan of fees deposited in any treasury of Haryana.
7. Head of accounts: **'0043-Taxes and Duties on Electricity –Other Receipts i.e. 0043-51-800-99-51—Other Receipts'**.

FORM -X*{see rule 15 (1)}***APPLICATION FOR RENEWAL OF ELECTRICAL CONTRACTOR LICENCE**

I hereby apply for the renewal of my license which is attached (vide details given below)

1	Name of the applicant (as in the license)		
2	Address with Pin Code		
3	Number of the Electrical Contractor License.		
4	Date of expiry of the license.		
5	Whether the application for renewal is belated. If so, the period (in months) by which the renewal is late		
6	Details of fees remitted		
7	Name of Treasury		
8	(a)	GRN Number and date of challan	
	(b)	Amount remitted	
9	Whether there is any change of address ? if so, mention new address.		
	(a)	Present address	
	(b)	Whether the address has to be changed in the License also ? if so, mention new address.	
	Whether the equipments have been tested as required in the conditions for licensing of Haryana. Certificates be attached.		

10	Details of staff as on the date of application (Supervisors and Wiremen)	
	Name	Certificate/Permit Number
		Date upto which valid
12	Whether there was any change in the staff ? If so, date of intimation to Chief Electrical Inspector, Haryana be specified)	

DECLARATION

1. Information furnished in the application is correct.
2. I/We am /are maintaining all the registers and books prescribed in the conditions for licensing of Haryana.
3. I am authorized to sign the application as contractor /on behalf of the contractor.

Place:

Date:

Signature of the Applicant

Following documents to be produced:

1. Electrical Contractor License.
2. Certificate of Competency and Wireman Permit, who are working with the Firm/Company alongwith their written consent or in person, if think so, necessary.
3. Income Tax Returns and Balance Sheet as specified in the conditions.
4. Calibration Certificate from NABL or Government Testing Laboratory in respect of Electrical equipments.
5. Details of works executed annually on the basis of Electrical Contractor License.
6. Copy of Annexure III.
7. Copy of Form 'E'.
8. Deposited Treasury Challan of fees, for the purpose.
Head of A/c: 0043-51-800-99-51—Other Receipt.

FORM-XII*(see rule 17)***APPLICATION FOR UPGRADATION OF ELECTRICAL CONTRACT LICENCE**

1	Level for which Electrical Contractor License is applied for upgradation			
2	Name of Firm/Electrical Contractor License Business Address- Pin Code- E-mail- Phone No.			
3	Style of the Company: Proprietary concern/company /firm registered under the Companies Act. If company/firm, attach documents to prove the status of the firm/company			
4	Whether the company has a registered office in Haryana/ UT Chandigarh/NCT Delhi			
5	Full name and address of Proprietor or partners/ Directors 1 2 3 4			
6	Full name of Agent or Manager (in the case of Limited Company)			
7	Whether the applicant is a manufacturing firm or production unit.			
8	Name of the authorized person signing documents			
9	Whether a contractor license has been previously granted in the same name ? If yes, give details thereof.			
10	Whether a contractor License has been granted under this name from any other State? If so, please give name of issuing Authority- Date of issue- Date of expiry of License- Details of works permitted to be undertaken-			
11	Whether adequate drawing office facilities for preparation of drawings, blue prints etc. is available (in case of above 650 Volt).			
12	Whether the staff indicated under column 13 are exclusively earmark for the work under the conditions for licensing and Regulation 29 of "Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations 2010".			
13	Name of all persons employed full time basis having technical qualifications and experience.			
Sr. No.	Name of person	Qualification	Certificate and permit with their No. and validity date.	Whether declaration in the form appended have been attached

14. Whether e-library/library as per **Annexure-II** is available. If yes, attached proof.
15. Major works carried out in Haryana
(List be attached with details of installation, scheme approval obtained from Electrical Inspectorate, etc).
16. Details of punishment and penalty imposed on the company/firm.
 - (i) By State Licensing Board, Haryana/Chief Electrical Inspector, Haryana.
 - (ii) By the Government and Other agencies.
 - (iii) Any Court of Law.

DECLARATION

- I/we have read and understood the conditions and documents required to be attached with application for grant of 'A' Class Electrical Contractor License and relevant documents are attached in chronological order.
- I/we hereby declare that the staff specified in column 13 is intended exclusively for attending to the work under the conditions of licensing and under "Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations 2010". The service of the staff will not be utilized for routine operations in the establishment nor will they be mixed up with the staff employed under regulation 3 and 5 of the said Regulations, 2010. I hereby declare that I/we have in my/ our possession a copy of the Electricity Act 2003, regulations as well as relevant codes of Practice and Standards of Indian Standards Institution relating to Electrical Installations. I/We fully understand the terms and conditions under which an electrical contractor license is granted, a breach of which will render the license liable to cancellation.
- I/We hereby declare that I/We shall comply with relevant provisions of the Labour Laws.
- I/We hereby also agree to maintain such registers and records as may be prescribed by the Board/CEI in the forms specified for the purpose.
- I/we do solemnly affirm and declare that the facts submitted in the application are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed by me/us.
- I am authorized to sign this application as individual on behalf of the firm.
- I/we are fully aware that this self declaration has the same validity as duly sworn statement of fact in a court of law and any false information provided by me in this application shall be liable for punishment under the relevant sections of the India Penal Code 1860.

Signatures of the applicant/

Authorised Signatory of the firm/Co.

Place:

Dated:

Following documents to be produced:

1. Certificate of Competency and Wireman Permit, who are working with the Firm/Company alongwith their written consent or in person, if think so, necessary.
2. Income Tax Returns and Balance Sheet as specified in the conditions.
3. Calibration Certificate from NABL or Government Testing Laboratory in respect of Electrical equipments.
4. Details of works executed annually on the basis of Electrical Contractor License.
5. Copy of Annexure III & V.
6. Copy of treasury challan of fees deposited in any treasury of Haryana.
7. Head of accounts: '**0043-Taxes and Duties on Electricity –Other Receipts i.e. 0043-51-800-99-51—Other Receipts**'.

FORM- XIII*{see rule 22 (1)}***APPLICATION FOR DUPLICATE COMPETENCY OF CERTIFICATE / WIREMAN
PERMIT/ELECTRICAL CONTRACTOR LISENCE**

I hereby apply for the issue of duplicate of my License /Certificate / Permit which is attached vide details given below:

1 (a)	Name of the applicant as in the License /Certificate / Permit	
(b)	Age and date of birth	
(c)	Date on which the applicant completes 55 years	
2	Address with Pin Code	
3	Document of which duplicate is required i.e. License / Certificate / Permit (No. & date of the document should be specified)	
4	Date of expiry for license, Certificates and permits only	
5	Whether the document is lost, defaced, mutilated, destroyed or damaged	
6	When was it destroyed or lost and whether any proof for destruction or loss is available	
7	Details of the defaced, mutilated or damaged document enclosed	
8	Details of fees paid	
Name of treasury		Number and Date of the challan
		Amount

Declaration

Isolemnly declare that the above particulars are correct. My License/ Competency Certificate / Permit No. dated is lost irrecoverable/destroyed/ defaced/damaged /mutilated. I further declare that in case the original of the document is received or traced out later, I shall return it to the Chief Electrical Inspector, Haryana.

I am authorized to sign this application as individual / on behalf of the firm.

Place:

Date:

Signature of the Applicant**Following documents to be produced:**

1. Copy of License/Certificate of Competency/Wireman Permit.
2. Proof of destroyed or lost/Affidavit for defaced/mutilated/damaged.
3. Copy of DDR/FIR.
4. Copy of treasury challan of fees deposited in any treasury of Haryana.
5. Deposited Treasury Challan of fees, for the purpose in the Head of A/c: 0043-51-800-99-51— Other Receipt.
6. Two passport size photographs (in case of Certificate of Competency/Wireman Permit).
7. Three specimen signatures of the holder (in case of Certificate of Competency/Wireman Permit).

ANNEXURE-I*{see rule 4(b) and 5(b)}***PERFORM FOR MEDICAL FITNESS ISSUED BY THE GOVERNMENT /GOVERNMENT APPROVED HOSPITAL FOR RENEWAL OF CERTIFICATE/PERMIT**

Name: _____ Father's Name: _____

Age: _____ Years Sex: Male/Female Height _____ Weight _____

Brief Clinical History, if any:

1	Examination		
	a) General Physical Examination:		b) Hearing
	c) Systemic Examination		d) Vision:
2	Investigation		
	(A) Hematology:		
	a) Hb%		b) TLC
	c) DLC		d) Peripheral Smear
	(B) Biochemistry		
	(I) Blood Sugar:		
	a) F:		b) P.P:
	(II) Lipid Profile		
	a) Total Cholesterol		b) HDL Cholesterol
	c) LDL Cholesterol		d) VLDL Cholesterol
	e) Triglyceride Test		
	(III) Liver Function Test:		
	a) Total Bilirubin		b) Direct Bilirubin
	c) Indirect Bilirubin		d) SGOT
	e) SGPT		f) ALK Phosphatase
	g) S Protein		h) Albumin
	i) Globulin Test		
	(IV) Kidney Function Test:		
	a) Urea		b) Creatinine
	c) Uric Acid		d) Electrolytes
	e) Na*		f) K Na*
	g) Calcium		h) Inorganic Phosphates
	(V) Cardiac Profile:		
	a) CPK		b) CK-MB
	c) LDH		

	(VI) Urine:	
	i. Routine: a) Sugar	b) Albumin
	ii. Microscopic	
	(VII) E.C.G:	
	(VIII) X-Ray Chest:	
	(IX) Ultra Sound Abdomen:	
	Physical Efficiency Test	
	Any Other Investigation	

ADVICE:**B. Medical Report of the Officer**

1	Hemoglobin Level of the Officer	Normal/Low
2	Blood Sugar Level	Satisfactory/normal/High/Low
3	Cholesterol level of the Officer	Normal/High/Low
4	Liver Functioning	Satisfactory/Normal/Dysfunctioning
5	Kidney Status	Normal/Both-one Kidney not function optimally
6	Cardiac Status	Normal/Enlarged/Blocked/Not Normal
7	BMI (Body Mass index)	Underweight/Normal/Overweight/Obese
8	Endurance Test	Excellent/Normal/Low

B. Summary of Medical Report:

1	Physical Fitness	Excellent/Fit/Unfit
2	Overall Health of the Officer	Excellent/Very Good/Good/Average
3	Any other remarks bases on the health medical check-up of the Officer	
4	Whether Fit for field Duty	Yes/No

Dated:

Signature of Medical Authority
Designation

ANNEXURE-II*{see rule 12(d)}*

1. Library—The applicant should have maintained library/e-library as under :—

Electricity Act 2003, CEA (Measure relating to Safety and Electric Supply), Regulations 2010.
Supply code
Conditions for Grant of 'A' Class Electrical Contractor License issued by Haryana Government
National Building Code – Electrical
Electrical Inspectorate standards
Standards published by Central Board of Irrigation & Power
Safety Manual
All important BIS specifications as directed by the Chief Electrical Inspector, Haryana and the Electrical Inspectorate from time to time.
Labour Act and Laws

2. Facility for preparation of drawing for electrical installation.

ANNEXURE-III*{see rule 12(e)}***Form of Declaration by Supervisor/Wireman for working with Electrical Contractor**

1. I _____ hereby declare that I am willing to work/ working under Ms./Shri/M/s _____ as full time employee. My Supervisor's /Wiremen's Permit Number is _____. It is valid upto _____.
2. I am at present employed under Ms./Shri/M/s _____ I have already given notice/will give notice to her/him/them of my intention to leave the service under her/him/them (vide dated _____).
3. I shall intimate the Chief Electrical Inspector, Haryana as well as _____ under whom I am working at present in the event of any change in my employment.
4. I also hereby affirm that I shall abide by the provisions of the Electricity Act and Regulations as well as of the conditions of licensing Haryana and with all circulars/instructions which are issued by the Chief Electrical Inspector, Haryana in all respect.
5. I shall only work with above said firm/contractor. If found working with another firm/company/private organization/contractor, Department may take action against me.
6. I am also not working as Chartered Electrical Safety Engineer.

Place:

Date:

Name and Signature of Supervisor/Wireman.

ANNEXURE-IV*{see rule 12(f)}*

3. Electrical Equipments—Following instruments are to be procured and they should be ISI marked /equivalent quality and test certificates alongwith invoice to be furnished at the time of testing of the instruments and the instruments should be duly tested by Govt. approved National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL). Also the electrical equipments should be duly tested by Govt. approved National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) after every five years.

a. **LT level**—

1. Insulation Meggar 500V; 0-50 Mega Ω
 2. Earth Tester with testing kit 0-5 Ω with expanded scale of 1 Ω
 3. Two nos. Neon Tester.
 4. Frequency Meter 45 to 55 Hz
 5. Tong Tester 0-1000 A (with selector switch to measure different ranges from 10 A onwards)
 6. Multimeter (Digital Type) AC/DC
 7. 2 pairs of Rubber hand gloves for electrical purposes.
 8. 2 Nos. Insulated pliers.
 9. All wiring tools and any other instruments which may be considered necessary by department.
- b. Other Tools & Plants to be procured and maintained for HT /EHT Contactor Licence—

(i)	Insulation Meggar 5000 V; 5000 Mega Ω (motorized /electronic type)
(ii)	Phase Sequence Tester.
(iii)	Spanner set
	(a) Double end
	(b) Box
	(c) Ring
	(d) Adjustable type
(iv)	Allen key set
(v)	Cutting pliers (Insulated)
(vi)	Micrometer/screw gauge
(vii)	Nose pliers
(viii)	Measuring tapes:
	(a) 15 M
	(b) 50 M
(ix)	Portable compressor with spray gun
(x)	Blower
(xi)	Screw drivers of all sizes
(xii)	Portable welding set
(xiii)	Crimping tools with dye set
	(a) Hand operated
	(b) Hydraulic
(xiv)	Rollers for cable laying
(xv)	Portable grinder
(xvi)	Safety belts

(xvii)	Rubber gloves (electrical grade)
(xviii)	Portable drill:
	(a) Heavy duty
	(b) Light duty
(xix)	Tools for pipe threading & jointing
(xx)	Chipping tools, chisels etc.
(xxi)	Cable jointing facilities
(xxii)	Fabrication and material handling facility.

c. **The following additional facilities also have to be provided for EHT Contractor Licence:**

1	Digital Earth Clamp Tester 0.01 to 50Ω with selector switch.
2	Portable P. F. Meter 5A, 240 V AC
3	Facility for handling heavy machineries
4	Oil filtering and testing facilities
5	Relay testing kit
6	High Voltage Testing facilities

NOTE.— Additional facilities at Sr. No. 3 to 6 shall be outsourced from any firm/ company by providing a relevant agreement/consent.

ANNEXURE-V*{see rule 12(h)}***(UNDERTAKING BY THE APPLICANT FOR GRANT OF ELECTRICAL CONTRACTOR LICENCE)**

I, _____ Sole Proprietor/Authorised Signatory of M/s _____, having its principal place of registered office at _____ (full address) do hereby solemnly affirm and declare as under :-

1. That I am the Sole Proprietor of M/s _____.
2. That I hereby confirm and declare that my firm M/s _____ is not blacklisted.
3. That I hereby confirm and declare that my firm M/s _____ is not involved in any illegal activity and not charge sheeted for any criminal act of theft during last five years.
4. That I further undertake that in case of the facts sworn in as mentioned above and any particulars mentioned in our application is found otherwise or incorrect or false at any stage, my firm/licence shall stand cancelled and all such action as may be deemed fit including termination of licence, without any notice, shall be taken by the department.
5. That I know that to swear a false affidavit is crime under the law and with such knowledge only I have swear this affidavit.

(Signature of the Proprietor with Seal)**Deponent**

Verified at _____ that the contents of Paras 1 to 5 of affidavit are true and correct and no part of this is false and nothing material has been concealed or falsely stated therein.

(Signature of the Proprietor with Seal)**Deponent**

ANNEXURE-VI*{see rule 13(1)}***CONDITION**

1. This licence authorized the electrical contractor to whom it is granted to carry out electrical installation work of low tension/medium pressure/high tension/extra high tension works, as restricted in the licence, within the State of Haryana.
 - a. Where the electrical contractor conducts his business from one or more than one branch established in a single Tehsil/District, he may employ one or more electrical supervisors and be in possession of one or more sets of instruments on the strength of which the license is granted to him under intimation to the Competent Authority.
 - b. Where an electrical contractor employing only one supervisor and possessing only one set of instruments conducts his business from one or more than one branch established in a single tehsil he may not undertake electrical installation work in another tehsil unless:—
 - i. he employ an additional supervisor for the work such other tehsil and is in possession of an additional set of instruments, or
 - ii. he suspends all work in the tehsil in which his business is normally conducted while the work at such other tehsil is in progress.
2. The electrical contractor shall keep the instruments in working order.
3. The electrical contractor shall at all time offer all reasonable facilities to the Electrical Inspector to Government, Haryana or his representative for examining and testing any or all the instruments in his possession.
4. The electrical contractor shall inform in writing to the Competent Authority for the purpose of regulation 29 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply), Regulations, 2010, the name/names and certificate no./nos. of the supervisor/supervisors employed by him. The contractor shall also inform to the Competent Authority when a supervisor in his service leaves his service.
5. **Completion Test Report**—After the completion of an electrical installation work to which regulation 29 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply), Regulations, 2010 applies, a test report shall be submitted by the licensed electrical contractor to the electricity supply undertaking concerned. The test report shall be signed by the supervisor under whose supervision the work has been carried out, and countersigned by the licensed electrical contractor.
6. If the electrical contractor is adjudged by the Competent Authority to be guilty of misconduct, carelessness or any mal-practice, the Competent Authority may suspend or cancel his licence.
7. The Competent Authority may, if the contractor commits a breach of any of the terms and conditions of this licence, or for any other sufficient cause, suspend or cancel this licence.
8. The Competent Authority may, if the contractor or commits a breach of any of the terms and conditions of this licence, or for any other sufficient cause, suspend or cancel this licence either on its own motion or on the recommendation of Screening Committee constituted for the purpose.
9. If in the opinion of the Competent Authority prima facie case of misconduct and or gross violation of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply), Regulations, 2010 exists against a contractor, the Competent Authority may suspend the licence of such contractor.
10. The licence shall be renewable periodically and if it is not renewed on due date, it shall be automatically cancelled and the full initial fee/late fee, if any will be chargeable for issue of a new licence. However, the firm/contractor shall submit the details of works executed annually. Moreover, if the licence remains cancelled for more than three years, the applicant shall apply a fresh application.
11. If the holder or all of the holders of a Certificate of Competency on the strength of whose Certificate/Certificates this licence has been granted, leaves/leave the service of the Contractor or Certificate of Competency/Wireman permit could not be renewed, the contractor's licence shall be deemed to have been suspended, and it shall remain suspended until such time as the contractor again employs a person holding a Certificate of Competency or renewal thereof. However, during interval period, contractor will not be eligible to do his work.

12. If this licence has been granted to the contractor on the strength of a Certificate of Competency held by him in his own name, the licence shall stand automatically cancelled in the event of the contractor accepting employment under any other electrical contractor.
13. Supervisor shall not be employed in a part time, nor shall they be in the employed of more than one contractor at same time.
14. **Notice of commencement of work**—Notice of electric installation work including additions, alterations, repairs and adjustments to existing installations except such replacement of lamps, fans, fuses, switches and other component parts of the installations as in no way alters its capacity or character shall be given in writing by a licensed electrical contractor to the Competent Authority within 48 hours of the commencement of such work and simultaneously the supplier local office informed of it.
15. **Staff of Contractors:-**
- a. All the Wireman of the Electrical Contractor shall consist of bonafide and whole-time Wireman, holding 'A' Class permit granted by the Competent Authority provided that a contractor may appoint apprentices for training purposes in which case the total number of apprentices employed by any contractor at any time shall not exceed 50 percent of his total wiring staff inclusive of apprentices, but exclusive of coolies. Provided further, that the Contractor shall not permit such apprentices to carry out any electrical installation work including additions, alterations, repairs and adjustment to existing installations as repairs and adjustment to existing Installation covered under regulation 29 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply), Regulations, 2010, except under the direct supervision of a person holding a Certificate of Competency, and under the guidance of at least one certified Wireman on the premises.
- b. Every contractor shall maintain a register, the Register of Supervisors, Wireman and apprentices employed by him in 'Form-E' and daily attendance shall be maintained, which shall be got checked from the Competent Authority. The record of monthly wages, paid to the employees shall also be maintained. The register shall be open to inspection at any time by the Electrical Inspector or his representative.
No person whose name is not entered in such register, shall be a bonafide employee on the contractor wiring staff.
- c. Every contractor shall submit an undertaking that relevant provisions of the Labour Act shall be complied with.

FORM 'E'

Register of Supervisors, Wiremen and Apprentices employed by M/s. _____
_____ for the month
of _____

Serial Number	Name & Designation	1,2,3,4 and dates so on	Total days	Total wages	Sign.

16. **Installation work to comply with the code of Practice**—The electrical installation work and fittings in building shall comply with the "code of practice for electrical work and fittings in building" issued by the "Indian Standard Institute in the year 1958—Indian Standards Specification No. 732-1958".

Schedule*{see rules 6 (1), 8(1), 10,11,15(1), 18, 20}***Scales of Fees**

1. **Fees**—Fees on the scale prescribed below shall be charged for issuing of certificates of competency to Supervisors, permits to wiremen and the licences to electrical contractors:—

a. **Certificate of Competency –**

1	Issuing of Competency Certificates	Rs. 200/-
2	Annual renewal fee of Supervisors Competency Certificate	Rs. 200/-
3	Renewal fee of Supervisors Competency Certificate for three years	Rs. 550/-
4	Duplicate copy of Supervisor Competency Certificate	Rs. 200/-
5	Late fee for renewal after grace period	Rs. 100/-
6	Interstate recognition of supervisor certificate issued by other states	Rs. 550/-

b. **Wireman Permit—**

1	Issuing of wireman permit	Rs.100/-
2	Annual renewal fee of Wireman Permit	Rs. 100/-
3	Renewal fee of Wireman Permit for three years	Rs. 250/-
4	Late fee for renewal after grace period	Rs. 50/-
5	Duplicate copy of Wireman Permit	Rs. 100/-

c. **Electrical Contractors Licence—**

1	Initial fee	Rs. 3350/-
2	Annual renewal fee	Rs. 1050/-
3	Issue of special licence for HT/EHT work	Rs. 2100/-
4	Late fee for renewal of Electrical Contractor Licence after grace period	Rs. 300/-
5	Fee for duplicate copy of Electrical Contractor Licence	Rs. 150/-

NOTE.—

- These rates would further be increased by 20% after every three years from the date of its applicability.
- The rates shall be applicable with effect from the date of publication of the notification.
- The fees shall be paid online through the website of Treasuries and Accounts, Department, Haryana for credit to the Head of account **“0043-Taxes and Duties on Electricity i.e. 0043-51-800-99-51—Other Receipts”**.

T.C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Power Department.